परिशिष्ट-1.1 (अ)

(संदर्भः कंडिका-छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य पृष्ठ-1)

छत्तीसगढ़ राज्य की रूपरेखा

अ. सामान्य आंकड़े

स. क्र.	विवरण		आंकड़े
1	क्षेत्र		1,35,191 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या		
	अ	2001 की जनगणना के अनुसार	2.08 करोड़
	ब	2011 की जनगणना के अनुसार	2.55 करोड़
3	अ	जनसंख्या का घनत्व (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत घनत्व = 325 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)	154 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.
	ब	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत घनत्व = 382 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)	189 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या[1] (बी.पी.एल.) (राष्ट्रीय औसत =21.92 प्रतिशत)		39.93 प्रतिशत
5	अ	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 64.8 प्रतिशत)	64.66 प्रतिशत
	ब	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 74.0 प्रतिशत)	71.04 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर[2] (प्रति 1000 जीवित बच्चों पर). (राष्ट्रीय औसत = 42 प्रति 1000 जीवित बच्चे)		47 प्रति 1000 जीवित बच्चे
7	गिनी कोएफीशियेन्ट[3]		
	अ	ग्रामीण (राष्ट्रीय= 0.29)	0.28
	ब	शहरी (राष्ट्रीय = 0.38)	0.33
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद[4] (जीएसडीपी) 2013-14 के वर्तमान मूल्य के अनुसार		₹ 1,85,060.17 करोड़
9	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सीएजीआर (2004-05 से 2013-14)	**अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों में**	14.88
		छत्तीसगढ़	14.38
10	जीएसडीपी सीएजीआर (2004-05 से 2013-14)	**अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों में**	15.49
		छत्तीसगढ़	16.21
11	जनसंख्या वृद्धि (2004-05 से 2013-14)	**अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों में**	12.94
		छत्तीसगढ़	15.84

ब. वित्तीय आंकड़े

विवरण				
	सीएजीआर	2004-05 से 2012-13		2004-05 से 2013-14
		सामान्य श्रेणी राज्य	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़
		(आंकड़े प्रतिशत में)		
अ	राजस्व प्राप्तियों का	16.93	19.22	17.94
ब	स्वयं के कर राजस्व का	16.42	18.80	18.00
स	कर भिन्न राजस्व का	12.49	17.81	16.96
द	कुल व्यय का	15.37	18.83	18.35
क	पूंजीगत व्यय का	17.01	23.24	18.47
ख	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	17.44	21.75	22.06
ग	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.50	19.04	19.94
घ	वेतन एवं मजदूरी का	14.73	17.48	17.61
प	पेंशन का	18.34	20.58	19.82

(स्रोतः वित्तीय आंकड़ें वित्त लेखों पर आधारित है।)

[1] योजना आयोग के जुलाई 2013 के बीपीएल 2011-12 के प्रेस नोट के अनुसार, तेंदुलकर विधि द्वारा गरीबी रेखा के नीचे।

[2] शिशु मृत्यु दर (एसआरएस बुलेटिन 2013)

[3] गिनी कोएफिशियेन्ट जनसंख्या में आय की असमानता का एक माप है। मूल्य दर शून्य से एक शून्य के निकट असमानता कम है, एक के निकट असमानता अधिक है (योजना आयोग के अशासकीय प्राक्कलन एवं राष्ट्रीय प्रादर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े 61वां चक्र 2009-10- यूआरपी)

[4] आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन

परिशिष्ट-1.1(ब)

(संदर्भः कंडिका-1.1; पृष्ठ-1,2)

सरकारी लेखों की संरचना एवं प्रारूप

सरकार के लेखे की संरचनाः राज्य शासन के लेखे तीन भागों (I) समेकित निधि (II) आकस्मिकता निधि और (III) लोक लेखा में रखे जाते हैं।

भाग (I) समेकित निधिः राज्य शासन द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, विनिमय पत्र द्वारा प्राप्त समस्त ऋण आंतरिक और बाहय ऋण, और ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन एक समेकित निधि का निर्माण करते है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत यह निधि राज्य की समेकित निधि के नाम से स्थापित की गई है।

भाग (II) आकस्मिकता निधिः भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई। यह अग्रिम के रूप में होती है, इसे अत्यावश्यक अनपेक्षित व्यय हेतु अग्रिम प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा जाता है, इस व्यय को बाद में विधायिका द्वारा अधिकृत किया जाता है बाद में विधान मंडल द्वारा ऐसे व्यय का अनुमोदन और समान राशि समेकित निधि से आहरण करने की अनुमति प्राप्त की जाती है। तब आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की इस निधि (समेकित) द्वारा भरपाई की जाती है।

भाग (III) लोक लेखाः कुछ लेन-देनों जैसे लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, निक्षेप, उचंत, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण जो समेकित निधि के हिस्से नहीं है, इस प्रकार प्राप्त लोक धन संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है एवं जो विधान मंडल के द्वारा वोट के अधीन नहीं है।

भाग-स : वित्त लेखों की रूपरेखा

वित्त लेखों को दो भागों में विभाजित किया गया है।

खण्ड-1 - सारांशीय विवरणी	
विवरण क्र. 1	वित्तीय स्थिति का विवरण- वर्ष के अंत में परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की संचयित आंकड़े।
विवरण क्र. 2	प्राप्तियों एवं संवितरण का विवरण- वर्ष के दौरान शासन द्वारा सरकारी लेखे में तीन भागों में रखे गये प्राप्तियाँ एवं संवितरण।
विवरण क्र. 3	समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण- शासन की राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ एवं शासन द्वारा उधार से प्राप्तियों का विवरण।
विवरण क्र. 4	समेकित निधि में व्यय का विवरण- कार्यकलाप एवं क्रियाकलाप अनुसार व्यय का विवरण।
खण्ड-2	
विवरण क्र. 5	प्रगामी पूंजीगत परिव्यय का विवरण- पूंजीगत व्यय का प्रगामी जोड़ 2013-14 तक का सारांशी विवरण।
विवरण क्र. 6	उधारों तथा अन्य दायित्वों का विवरण- शासन के उधारों का सारांशी विवरण जिसमें आंतरिक ऋण भारत शासन से प्राप्त कर्जे, अन्य दायित्व एवं ऋणों की सेवायें।
विवरण क्र. 7	सरकार द्वारा दिये गये कर्जे तथा पेशगियों का विवरण- राज्य शासन द्वारा वर्ष के दौरान दिये गये ऋणों और अग्रिमों, किये गये पुर्नभुगतान और वसूलियों का बकाया इत्यादि।
विवरण क्र. 8	राज्य शासन द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण।
विवरण क्र. 9	शासन द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण- सांविधिक निगमों, स्थानीय निगमों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों आदि के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा दी गई गारंटी।
विवरण क्र. 10	प्रभारित एवं दत्तमत व्यय का विवरण-वर्ष के दौरान किए गए व्यय के भारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण।
विवरण क्र. 11	राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघुशीर्षवार विस्तृत विवरण- राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विवरण।
विवरण क्र. 12	राजस्व व्यय का लघुशीर्षवार विस्तृत विवरण-आयोजना एवं आयोजनेत्तर के अधीन राजस्व व्यय का लेखा लघुशीर्षवार एवं पूंजीगत व्यय का मुख्य शीर्षवार लेखा।
विवरण क्र. 13	पूजीगत व्यय विस्तृत शीर्षवार विवरण-2013-14 के दौरान और इसके अंत तक किए गए पूंजीगत व्यय एवं गत वर्ष के आकड़े के साथ तुलनात्मक विवरण।
विवरण क्र. 14	सरकार द्वारा किये गए निवेशों का विस्तृत विवरण- 2013-14 के अंत तक सांविधिक निगमों शासकीय कम्पनियों अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंको और समितियों इत्यादि में राज्य शासन के निवेश का विवरण।
विवरण क्र. 15	उधारों तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण ।
विवरण क्र. 16	सरकार द्वारा दिए गए कर्जों तथा उधारों का ब्यौरेवार विवरण।
विवरण क्र. 17	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए अन्य निधियों के स्त्रोतों एवं उपयोग का विस्तृत विवरण
विवरण क्र. 18	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण
विवरण क्र. 19	चिन्हित आरक्षित निधियों के शेषों का विवरण।

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भः कंडिका-छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य पृष्ठ-1)

राजकोषीय स्थिति के आंकलन हेतु अपनाई गई कार्यविधि

यह मानकर कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के कार्य निष्पादन का अच्छा सूचक है, वृहत्त राजकोषीय कुल योग जैसे कर एवं कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आंतरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को प्रचलित बाजार मूल्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिनिधित्व वाले आधार के संदर्भ में संगत राजकोषीय अस्थिर अंक के सह दक्षता सहित उत्प्लावकता की संगणना यह आंकलन करने के लिए की गई है कि संसाधनों का संग्रह व्यय की रीति इत्यादि आधार में परिवर्तन के साथ कदम से कदम मिला रहा है अथवा इन राजकोषीय कुल योग पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अलावा अन्य तत्वों द्वारा प्रभावित होता है।

विगत पांच वर्षो में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रवृत्तियाँ निम्नानुसार सूचित किया जाता हैः

जीएसडीपी का क्षेत्रवार विवरण

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12(P)	2012-13(Q)	2013-14(A)
प्राथमिक क्षेत्र	29,339.36	37,820.66	45,886.55	50,650.32	54,789.43
द्वितीय क्षेत्र	33,532.56	36,551.67	44,678.71	49,469.07	55,375.00
तृतीय क्षेत्र	36,492.34	45,047.43	53,816.96	63,341.46	74,895.75
सकल घरेलू राज्य उत्पाद (जीएसडीपी)	99,364.26	1,19,419.76	1,44,382.22	1,63,460.85	1,85,060.17
जीएसडीपी का विकास दर (प्रतिशत में)	2.47	20.18	20.90	13.21	13.21

(स्त्रोतः- छत्तीतगढ़ शासन के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग वर्ष 2013-14)

नोटः- ए (एडवांस) क्यू (क्विक) पी (प्रोविजनल)

प्राथमिक क्षेत्र - कृषि (पशुपालन सहित) वन, मत्स्य पालन, खनिज एवं उत्खन्न

द्वितीय क्षेत्र -उत्पादन (पंजीकृत एवं अपंजीकृत), निर्माण, विद्युत, गैस, एवं जल वितरण

तृतीय क्षेत्र -रेल परिवहन अन्य साधन द्वारा, भंडारण, संचार, व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, बैंक, बीमा एवं रियल स्टेट, मालिकाना हक एवं व्यापार सेवायें, सामूदायिक एवं वैयक्तिक, अन्य सेवायें

राजकोषीय समूहों के नमूने एवं प्रचलनों के आंकलन में उपयोग में लाये गये कुछ चयनित शब्दों की परिभाषा नीचे दी गई है:

शब्द	संगणना के आधार
उत्प्लावकता का माप सूचक	मापसूचक की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर
मापसूचक की उत्प्लावकता (X) अन्य मापसूचक के संदर्भ में (Y)	मापसूचक (X) की वृद्धि दर/ मापसूचक (Y) की वृद्धि दर
वृद्धि की दर (आरओजी)	[(चालू वर्ष की राशि/ पिछले वर्ष की राशि)- 1]* 100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ + आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान/[(पूर्व वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताओं)/2]* 100
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि - औसत ब्याज दर
प्रमात्रा विस्तार	ऋण स्टाक* ब्याज विस्तार
दिये गये बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज का प्रतिशत	ब्याज प्राप्ति/[(प्रारंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिमों का अंतिम शेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम- राजस्व प्राप्तियाँ- विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ
प्रारंभिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बीसीआर)	राजस्व प्राप्तियाँ से घटायें सभी योजना अनुदानों एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय मुख्य शीर्ष 2048 में दर्ज व्यय को छोड़कर ऋण परिहार को कम करने के लिए विनियोग
संसाधनों का अंतर	क्रमिक गैर ऋण प्राप्तियां- क्रमिक प्राथमिक राजस्व व्यय + क्रमिक ब्याज भुगतान

परिशिष्ट- 1.3

(संदर्भः कंडिका-1.1, 1.3, 1.4; पृष्ठ- 2, 11 एवं 19)

राज्य शासन के वित्त का अवधिवार आंकड़ा विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भाग - अ प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**18,154(89)**	**22,720(94)**	**25,867(94)**	**29,578(89)**	**32,050(85)**
(i) कर राजस्व	**7,123(39)**	**9,005(40)**	**10,712(41)**	**13,034(44)**	**14,343(45)**
कृषि आय पर कर	0	0	0	0	0
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	3,712(52)	4,841(54)	6,006 (56)	6,929(53)	7,930(55)
राज्य आबकारी	1,188(17)	1,506(17)	1,597(15)	2,486(19)	2,549(18)
वाहन पर कर	352(5)	428(5)	502(5)	592(5)	651(4)
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	583(8)	786(9)	846(8)	952(7)	990(7)
भूमि राजस्व	160(2)	247(3)	271(3)	234(2)	226(2)
सामग्री एवं यात्रियों पर कर	696(10)	675(7)	826(7)	954(7)	945(7)
अन्य कर	433(6)	522(6)	665(6)	887(7)	1,052(7)
(ii) कर भिन्न राजस्व	**3,043(17)**	**3,836(17)**	**4,058(16)**	**4,616(16)**	**5,101(16)**
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों मे राज्य का अंश	**4,381(24)**	**5,425(24)**	**6,320(24)**	**7,218(24)**	**7,880(24)**
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	**3,607(20)**	**4,454(20)**	**4,776(18)**	**4,710(16)**	**4,726(15)**
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**02**	**02**	**04**	**02**	**08**
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	**992(5)**	**561(2)**	**1,283(5)**	**1,542(5)**	**1,637(4)**
3 (अ) अंतर्राज्यीय समाशोधन	**03**	**03**	**02**	**02**	**05**
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+ 2+ 3)	**19,151**	**23,286**	**27,156**	**31,124**	**33,700**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**1,287(6)**	**795(3)**	**421(2)**	**2,058(6)**	**3,932(10)**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष को छोड़कर)	1,064 (83)	592 (74)	365	2,041	3,917
अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अधीन निवल लेनदेन	--	--	-	--	--
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	223 (17)	203 (26)	57	16.70	14.59
6. संचित निधि में प्राप्तियाँ (4+5)	**20,438**	**24,081**	**27,577**	**33,182**	**37,632**
7.आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	**0**	**01**	**0**	**0**	**0**
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**24,512**	**27,524**	**34,161**	**39,579**	**45,868**
9. राज्य शासन की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	**44,951**	**51,605**	**61,739**	**72,761**	**83,500**
भाग - ब व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**17,265(83)**	**19,355(85)**	**22,628(81)**	**26,972(80)**	**32,859(85)**
आयोजना	6,817(39)	8,069(42)	10,004(44)	12,440(46)	13,749(42)
आयोजनेत्तर	10,448(61)	11,286(58)	12,624(56)	14,532(54)	19,110(58)
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	4,350(25)	5,247(27)	5,904(26)	6,649(25)	7,851(24)
सामाजिक सेवायें	8,024(46)	8,310(43)	10,477(46)	11,456(42)	14,282(43)
आर्थिक सेवायें	4,423(26)	5,091(26)	5,560(25)	8,012(30)	9,756(30)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	468(3)	707(4)	687(3)	854(3)	970(3)
11. पूंजीगत व्यय	**2,745(13)**	**2,952(13)**	**4,056(14)**	**4,919(15)**	**4,574(12)**
आयोजना	2,745(100)	2,951(100)	4,055(100)	4,914(100)	4,575
आयोजनेत्तर	0	01	01	05	(-) 01
सामान्य सेवायें	77(2)	53(2)	42(2)	125(2)	182
सामाजिक सेवायें	802(24)	828(24)	989(24)	951(24)	692
आर्थिक सेवायें	1,866(74)	2,071(74)	3,025(74)	3,843(74)	3,700
12. ऋण एवं अग्रिमों से वितरण	**897(4)**	**567(2)**	**1,269(5)**	**1,889(6)**	**1,319(3)**
12. (अ) अंतर्राज्यीय समायोजन	**03**	**02**	**04**	**-1**	**05**
13. योग (10+ 11+ 12+ 12अ)	**20,910**	**22,876**	**27,957**	**33,779**	**38,757**
14. लोक ऋण की अदायगी	**652(3)**	**691(3)**	**853(3)**	**1,039(3)**	**690(2)**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष को छोड़कर)	536(82)	555(80)	711(83)	870(84)	541(78)
अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अधीन निवल लेनदेन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	116(18)	135(20)	142(17)	169(16)	149(22)
15. आकस्मिकता निधि से विनियोजन	..	..	..	..	..
16. संचित निधि से संवितरण (13 +14 +15)	**21,562**	**23,567**	**28,810**	**34,818**	**39,447**
17. आकस्मिकता निधि से संवितरण	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18. लोक लेखा संवितरण	**23,879**	**26,896**	**32,940**	**38,527**	**43,434**
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**45,441**	**50,463**	**61,750**	**73,345**	**82,881**
भाग - स - घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)आधिक्य (+) (1-10)	(+) **888**	(+) **3,364**	(+) **3,239**	(+) **2,606**	(-) **809**
21. राजकोषीय घाटा(-)/ आधिक्य (+) (4-13)	(-) **1,759**	(+) **410**	(-) **801**	(-) **2,655**	(-) **5,057**
22. प्राथमिक घाटा (-) / प्राथमिक आधिक्य (+) (21+23)	(-) **664**	(+) **1,608**	(+) **392**	(-) **1,502**	(-) **3,706**
भाग - द - अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	**1,095**	**1,198**	**1,193**	**1,153**	**1351**
24. स्थानीय निकायों आदि को आर्थिक सहायता	**2,889**	**3,401**	**4,607**	**7,044**	**7,651**
25. अर्थोपाय अग्रिमों/ अधिविकर्ष	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
लिए गए अर्थोपाय अग्रिम (दिनों में)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
लिए गए अधिविकर्ष (दिनों में)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. अर्थोपाय अग्रिमों/अधिविकर्ष पर ब्याज	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	**99,364**	**1,19,420**	**1,44,382**	**1,63,461**	**1,85,060**
28. बकाया ऋण (वर्षांत)	**15,937**	**16,581**	**17,103**	**19,268**	**24,902**
29. बकाया प्रतिभूति (वर्षांत)	**3,338**	**2,849**	**2,637**	**2,695**	**3,358**
30. प्रतिभूति दी गई अधिकतम राशि (वर्षांत)	**4,401**	**5,054**	**7,079**	**6,605**	**7,572**
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	**159**	**77**	**137**	**146**	**166**
32. अपूर्ण परियोजनाआं में अवरूद्ध पूंजी	**1,115**	**887**	**2,042**	**3,110**	**4,198**
भाग - इ - राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
1. संसाधनों का प्रचलन					
स्वयं का कर राजस्व/जीएसडीपी (अनुपात)	0.07	0.19	0.18	0.18	0.17
स्वंय का कर भिन्न राजस्व/जीएसडीपी (अनुपात)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
केन्द्रीय अंतरण/जीएसडीपी (अनुपात)	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07
2. व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/जीएसडीपी (अनुपात)	0.21	0.19	0.19	0.21	0.21
कुल व्यय/ राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	1.15	1.01	1.08	1.14	1.21
राजस्व व्यय/कुल व्यय (अनुपात)	0.83	0.85	0.81	0.8	0.85
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (अनुपात)	0.13	0.13	0.15	0.15	0.12
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (अनुपात)	0.13	0.13	0.14	0.14	0.11
3. राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/जीएसडीपी (अनुपात)	0.01	0.03	0.02	0.02	0.00
राजकोषीय घाटा/ आधिक्य /जीएसडीपी (अनुपात)	(-) 0.02	0.00	(-) 0.01	(-) 0.02	(-) 0.03
प्रारंभिक घाटा /आधिक्य/जीएसडीपी (अनुपात)	(-) 0.01	(+) 0.01	0.00	(-) 0.01	(-) 0.02
राजस्व घाटा/ आधिक्य/राजकोषीय घाटा (अनुपात)	(+) 0.5	(+) 8.20	(-) 4.04	(-) 0.98	(+) 0.16
4. राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय देनदारियाँ/जीएसडीपी (अनुपात)	0.16	0.14	0.12	0.12	0.13
राजकोषीय देनदारियाँ/आरआर (अनुपात)	0.88	0.73	0.66	0.65	0.78
प्रमात्रा विस्तार की तुलना में प्राथमिक घाटा (अनुपात)	(-)0.73	0.93	0.29	1.72	2.71
5. अन्य राजकोषीय सूचक					
निवेश पर प्रतिफल (वापसी)	0.44	4.30	0.04	0.11	0.76
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	5,682	8,377	10,113	11,763	9,730
वित्तीय परिसंपत्तियाँ/देनदारियाँ (अनुपात)	1.25	1.43	1.60	1.66	1.48

नोटः- *1. जीएसडीपी आंकड़ों में बदलाव के कारण आकड़े में बदलाव के कारण*

2. ए (एडवांस) क्यू (क्विक) पी (प्राविजनल)

3. एन.ए.- उपलब्ध नहीं

परिशिष्ट-1.4 (अ)

(संदर्भः कंडिका-1.1.1 एवं 1.9.2: पृष्ठ 2 एवं 36)

(वर्ष 2013-14 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार)

(₹ करोड़ में)

2012-13		प्राप्तियाँ	2013-14			2012-13		संवितरण	2013-14		
									आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
29,578.09		राजस्व प्राप्तियाँ		**32,050.26**		**26,971.84**		**राजस्व व्यय**	**19,109.80**	**13,749.76**	**32,859.58**
	13,034.21	**कर राजस्व**	14,342.71				6,649.31	**सामान्य सेवायें**	**7,773.26**	**77.89**	**7,851.15**
	4,615.95	**कर भिन्न राजस्व**	5,101.17				11,456.42	**सामाजिक सेवायें**	**4,553.35**	**9,728.75**	**14,282.10**
	7,217.60	संघीय करों में राज्यांश	7,880.22				5,486.76	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	2,679.89	4,165.55	6,845.46
	1,227.29	आयोजनेत्तर अनुदान	1,415.78				1,119.37	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	499.40	929.17	1,428.57
	2,112.69	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	2,121.47				1,190.90	जल प्रदाय स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	313.01	1,121.7	1,434.71
	1,370.35	केन्द्रीय एवं केन्द प्रवर्तित योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	1,188.91				50.59	सूचना एवं प्रसारण	66.73	2.76	69.49
							1,257.57	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/ अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	344.16	370.67	714.83
							94.05	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	63.31	77.47	140.78
							2,243.42	सामाजिक कल्याण एवं पोषण	575.70	3,057.88	3,633.58
							13.77	अन्य	11.14	3.54	14.68
						8,011.66		**आर्थिक सेवायें**	**5,812.80**	**3,943.13**	**9,755.93**
							3,279.73	कृषि एवं संबंद्ध क्रियाकलाप	3,388.72	1,763.43	5,152.15
							2,060.92	ग्रामीण विकास	920.06	1,169.95	2,090.01
							0.00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
							74.58	संचार	0.00	46.00	46.00
							377.9	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	220.88	195.45	416.33
							1,041.36	उर्जा	0.00	495.46	495.46
							429.18	उद्योग एवं खनिज	246.73	220.74	467.47
							660.93	परिवहन	987.99	1.00	988.99
							8.19	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	2.00	9.14	11.14
							78.87	सामान्य आर्थिक सेवायें	46.43	41.96	88.39
							854.45	**सहायता अनुदान एवं अंशदान**	970.39	0.00	970.39
29,578.09		**कुल राजस्व प्राप्तियाँ**		32,050.26			2,6971.84	**कुल राजस्व व्यय**	19,109.81	13,749.76	32,859.57
0	**II**	**अनुभाग ब में अग्रेषित राजस्व घाटा**		809.31			2,606.25	**अनुभाग ब में अग्रेषित राजस्व आधिक्य**			0.00
		योग		**32,859.57**				**योग**			**32,859.57**

2012-13		प्राप्तियाँ	2013-14			2012-13		संवितरण	2013-14		
									आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
2,700.86	**III**	**स्थायी अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष**		**2,116.94**		0.00		**भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक अधिविकर्षण**	0.00	0.00	0.00
2.39	**IV**	**विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ**		**7.64**		**4,919.33**		**पूंजीगत व्यय**	**(-)0.74**	**4,574.93**	**4,574.19**
						125.37		**सामान्य सेवायें**	**0.00**	**182.42**	**182.42**
						950.63		**सामाजिक सेवायें**	**0.00**	**691.96**	**691.96**
							173.18	शिक्षा, खेलकूद कला एवं संस्कृति	0.00	253.34	253.34
							173.55	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.00	126.99	126.99
							414.97	जल प्रदाय स्वच्छता आवास एवं शहरी विकास	0.00	84.95	84.95
							0.02	सूचना एवं प्रसारण	0.00	0.00	0.00
							111.4	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण	0.00	81.93	81.93
							53.46	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	0.00	106.27	106.27
							24.05	अन्य	0.00	38.48	38.48
						3,443.33		**आर्थिक सेवायें**	**(-)0.74**	**3,700.55**	**3,699.81**
							83.64	कृषि एवं संबंद्ध क्रियाकलाप	**(-)0.74**	89.63	88.89
							90.47	ग्रामीण विकास	0.00	90.71	90.71
							1,655.32	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.00	1,684.35	1,684.35
							704.00	उर्जा	0.00	22.00	22.00
							28.35	उद्योग एवं खनिज	0.00	8.11	8.11
							1,273.55	परिवहन	0.00	1,801.35	1,801.35
							8.00	सामान्य आर्थिक सेवायें	0.00	4.40	4.40
						4,919.33		**योग पूंजीगत व्यय**	**(-)0.74**	**4,574.93**	**4,574.19**
1.53	**V**	**अंतर्राज्यीय समाशोधन**		**5.14**			(-)0.80	**अंतर्राज्यीय समाशोधन**			**5.30**
1,542.01	**VI**	**ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ**		**1,637.27**			1,888.79	**ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण**	**9.58**	**1,308.95**	**1,318.53**
	73.17	विद्युत परियोजनाओं से	58.35				0.00	विद्युत परियोजनाओं हेतु			0.00
	(-) 0.25	सरकारी सेवकों से	(-) 0.09				0.00	सरकारी सेवकों को			0.00
	1469.10	अन्य से	1,579.01				1,888.79	अन्य को			1,318.53
2,606.25	**VII**	**लाया गया राजस्व आधिक्य**		**0.00**		0.00		**लाया गया राजस्व घाटा**			**809.31**
2,057.73	**VIII**	**लोक ऋणों प्राप्तियाँ**		**3,931.89**		1,039.29		**लोक ऋणों का पुनर्भुगतान**			**689.65**
0.00		बाहय ऋण		0.00		0.00		बाहय ऋण			0.00
2,041.03		अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षण के अलावा आंतरिक ऋण		3,917.31		870.22		अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षण के अलावा आंतरिक ऋण			540.56

2012-13		प्राप्तियाँ	2013-14			2012-13		संवितरण	2013-14		
									आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
0.00		अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन		0.00			0.00	अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन			0.00
0.00		अधिविकर्षण के अधीन निवल लेनदेन		0.00							
16.70		भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम		14.59			169.07	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान			149.09
	IX	आकस्मिकता निधि से विनियोग		0.00			0.00	आकस्मिकता निधि से विनियोग			0.00
0.00	X	आकस्मिकता निधि को स्थानांतरित		0.00			**0.00**	**आकस्मिकता निधि से व्यय**			**0.00**
39,579.4	XI	**लोक लेखा प्राप्तियाँ**		**45,867.54**		**38,526.62**		**लोक लेखा संवितरण**			**43,434.15**
	823.12	लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ	882.41				529.65	लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ			617.01
	711.57	आरक्षित निधियाँ	824.49				180.69	आरक्षित निधियाँ			422.38
	26,218.44	उचन्त एवं विविध	29,816.41				26,247.02	उचन्त एवं विविध			29,771.48
	8,003.09	प्रेषण	9,105.44				8,267.26	प्रेषण			9,203.47
	3,823.18	निक्षेप एवं अग्रिम	5,238.79				3,302	निक्षेप एवं अग्रिम			3,419.81
0.00	XII	भारतीय रिजर्व बैंक से अंत में अधिविकर्षण	**0.00**			**2,116.94**		**वर्ष के अंत में रोकड़ शेष**			**2,735.29**
							0.00	कोषालय में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण			0.00
							(-)1,767.11	रिजर्व बैंक के पास निक्षेप			(-)46.71
							116.87	स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष			9.94
							3,767.18	रोकड़ शेष निवेश			2,772.06
48,490.17		**योग ब**		**53,566.42**		**48,490.17**		**योग ब**			**53,566.42**

परिशिष्ट-1.4 (निरंतर)

(संदर्भः कंडिका-1.1.1, 1.9.1; पृष्ठ-2 एवं 36)

भाग बः छत्तीसगढ़ शासन की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

31.03.2013 की स्थिति	दायित्व		31.03.2014 की स्थिति में
9,566.63	**आंतरिक ऋण**		**12,943.37**
3,233.94	ब्याज सहित बाजार ऋण	6,077.93	
2.11	ब्याज रहित बाजार ऋण	2.11	
20.29	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	20.29	
6,310.29	अन्य संस्थाओं से ऋण	6,843.04	
0.00	अर्थोपाय अग्रिम	0.00	
0.00	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्षण	0.00	
2,137.37	**केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम**		**2,002.87**
0.68	1984-85 से पूर्व के ऋण	0.68	
4.51	आयोजनेत्तर ऋण	5.88	
2,132.22	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	1,996.35	
0.19	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	0.19	
(-)0.23	केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए ऋण	(-)0.23	
40.00	**आकस्मिकता निधि**		**40.00**
2,935.59	**लघु बचत, भविष्य निधियाँ आदि**		**3,202.62**
3,351.18	**निक्षेप**		**5,170.24**
2,425.33	**आरक्षित निधियाँ**		**2,827.44**
138.77	**उंचत एवं विविध शेष**		**183.69**
20,594.87	**योग**		**26,370.23**
29,715.13	**अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत व्यय**		**34,281.67**
1,916.18	कम्पनियाँ निगमों इत्यादि में निवेश	1,866.44	
27,798.95	अन्य पूंजीगत व्यय	32,415.23	
1,864.67	**ऋण एवं अग्रिम**		**1,545.98**
240.23	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	181.88	
1,481.11	अन्य विकास ऋण	1,211.10	
143.33	सरकारी सेवकों को ऋण एवं विविध ऋण	153.00	
1,147.62	**आरक्षित निधि में निवेश**		**1,244.57**
1.87	**अग्रिम**		**1.96**
440.27	**प्रेषण शेष**		**538.30**
0.00	**आकस्मिकता निधि**		**0.00**
969.32	**नगदी**		**1,490.72**
0.00	कोषालय में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	0.00	
(-)1,767.11	रिजर्व बैंक में निक्षेप	(-)46.71	
116.56	विभागीय नगदी शेष **अचल**	9.63	
0.31	स्थायी अग्रिम	0.31	
2,619.56	नगदी शेष निवेश	1,527.49	
(-)13,544.01	**सरकारी लेखे में घाटा**		**(-)12,732.97**
(-)2,606.25	(1) घटाइये चालू वर्ष के राजस्व आधिक्य	809.31	
(-)3.91	(2) प्रारूप सुधार एवं अन्य समायोजन	1.73	
(-)10,933.85	**वर्ष के प्रारंभ में संचयित घाटा**	(-)13,544.01	
20,594.87	**योग**		**26,370.23**

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भः कंडिका-1.1.3; पृष्ठ-5)

वर्ष 2013-14 के बजट आंकलन के विरूद्ध वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट आकलन 2013-14	वास्तविक आंकड़े	वृद्धि (+) कमी (-)	वृद्धि एवं कमी का प्रतिशत
राजस्व प्राप्तियाँ	**37,444.52**	**32,050.26**	(-)5,394.26	(-)14.41
कर राजस्व	**15,300.29**	**14,342.71**	(-)957.58	(-)6.26
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	8,436.00	7,929.51	(-)506.49	(-)6.00
राज्य आबकारी	2,575.00	2,549.14	(-)25.86	(-)1.00
वाहन पर कर	731.38	651.07	(-)80.31	(-)10.98
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	1,150.00	990.24	(-)159.76	(-)13.89
सामाग्री एवं यात्रियों पर कर	1,192.00	945.44	(-)246.56	(-)20.68
भूमि कर	376.00	226.06	(-)149.94	(-)39.88
शुल्कों एवं विद्युत पर कर	820.00	1,020.43	200.43	24.44
अन्य कर	19.91	30.82	10.91	54.80
कर भिन्न राजस्व	**6,072.00**	**5,101.17**	(-)970.83	(-)15.99
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	**8,593.33**	**7,880.22**	(-)713.11	(-)8.3
भारत सरकार से सहायता अनुदान	**7,478.90**	**4,726.16**	(-)2,752.74	(-)36.81
राजस्व व्यय	**35,015.84**	**32,859.57**	(-)2,156.27	(-)6.16
सामान्य सेवा	**7,617.54**	**7,851.15**	233.61	3.07
राज्य के अंग	361.33	293.42	(-)67.91	(-)18.79
राजकोषीय सेवायें	764.51	647.33	(-)117.18	(-)15.33
ब्याज भुगतान एवं ऋण शोधन	1,346.43	1,450.53	104.10	7.73
प्रशासनिक सेवायें	2,640.33	2,707.83	67.50	2.56
पेंशन एवं विविध सामान्य सेवायें	2,504.94	2,752.04	247.10	9.86
सामाजिक सेवायें	**15,806.10**	**14,282.10**	(-)1,524.00	(-)9.64
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	8,433.63	6,845.46	(-)1,588.17	(-)18.83
समाज कल्याण तथा पोषण	2,872.96	3,633.58	760.62	26.48
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	768.51	714.83	(-)53.68	(-)6.98
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	1,657.32	1,428.57	(-)228.75	(-)13.8
जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	1,787.60	1,434.71	(-)352.89	(-)19.74
सूचना एवं प्रोद्यौगिकी	61.96	69.49	7.53	12.15
श्रमिक तथा श्रम कल्याण	207.11	140.78	(-)66.33	(-)32.03
अन्य	17.01	14.68	(-)2.33	(-)13.70
आर्थिक सेवायें	**10,736.20**	**9,755.93**	(-)980.27	(-)9.13
कृषि एवं संबंद्ध क्रियाकलाप	5,400.00	5,152.15	(-)247.85	(-)4.59
ग्राम विकास	2,627.16	2,089.99	(-)537.17	(-)20.45
संचार	28.57	46.01	17.44	61.04
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	288.47	416.33	127.86	44.32
ऊर्जा	459.36	495.46	36.10	7.86
उद्योग एवं खनिज	501.26	467.47	(-)33.79	(-)6.74
परिवहन	1,305.96	988.99	(-)316.97	(-)24.27
विज्ञान, प्रोद्यौगिकी एवं पर्यावरण	16.95	11.14	(-)5.81	(-)34.28
सामान्य आर्थिक सेवायें	108.47	88.39	(-)20.08	(-)18.51
सहायता अनुदान एवं अंशदान	**856.00**	**970.39**	**114.39**	**13.36**
पूंजीगत व्यय जिसमें	**7,229.51**	**4,574.19**	**(-)2,655.32**	**(-)36.73**
सामान्य सेवायें	**223.00**	**182.42**	**(-)40.58**	**(-)18.20**
सामाजिक सेवायें	**1,527.02**	**691.96**	**(-)835.06**	**(-)54.69**
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	412.39	253.34	(-)159.05	(-)38.57

विवरण	बजट आंकलन 2013-14	वास्तविक आंकड़े	वृद्धि (+) कमी (-)	वृद्धि एवं कमी का प्रतिशत
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	291.22	126.99	(-)164.23	(-)56.39
जल पूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	553.99	84.95	(-)469.04	(-)84.67
सूचना तथा प्रचार	0.02	0.00	(-)0.02	(-)100
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	132.24	81.93	(-)50.31	(-)38.04
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	98.16	106.27	8.11	8.26
अन्य सामाजिक सेवाएं	39.00	38.48	(-)0.52	(-)1.33
आर्थिक सेवायें	**5,479.49**	**3,699.81**	(-)1,779.68	(-)32.48
कृषि एवं संबंद्ध क्रियाकलाप	136.81	88.89	(-)47.92	(-)35.03
ग्रामीण विकास	91.95	90.71	(-)1.24	(-)1.35
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,200.79	1,684.35	(-)516.44	(-)23.47
ऊर्जा	435.00	22.00	(-)413	(-)94.94
उद्योग एवं खनिज	44.16	8.11	(-)36.05	(-)81.63
परिवहन	2,540.18	1,801.35	(-)738.83	(-)29.09
सामान्य आर्थिक सेवायें	30.60	4.40	(-)26.20	(-)85.62
राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)	2,428.68	**(-)809.31**	(-)3,237.99	(-)133.32
राजकोषीय घाटा (-)	(-)5,145.28	**(-)5,057.00**	88.28	(-)1.72
प्राथमिक आधिक्य (+)/ घाटा (-)	(-)3,898.85	**(-)3,706.00**	192.85	(-)4.95

परिशिष्ट-1.6

(संदर्भः कंडिका-1.1.4; पृष्ठ-7)

वर्ष 2013-14 के दौरान महिलाओं के लिए बजट प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

स. क्रं.	योजनाओं के नाम	बजट अनुमान (जेंडर बजट)	विनियोग लेखे के अनुसार कुल प्रावधान	व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
1.	महिला खेलकूद प्रतियोगिता	1.10	0.08	0.08	0.00
2	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना	94.00	9.40	4.87	(-) 4.53
3	छात्राओं के लिए शाला गणवेश	57.52	46.89	46.89	0.00
4.	हाई स्कूल छात्राओं को निःशुल्क साईकिल प्रदाय	48.87	71.19	68.38	(-) 2.81
5.	एनपीईजीईएल[5]	5.65	5.80	0.00	(-) 5.80
6	इंदिरा आवास योजना	66.50	145.24	85.68	(-) 59.56
7	छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्मल योजना	50.00	103.98	103.98	0.00
8	मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना	105.00	100.75	100.75	0.00
9	छत्तीसगढ़ गौरव एवं हमारा छत्तीसगढ़ योजना	25.00	24.79	24.79	0.00
10	ग्राम विकास योजना	25.00	24.95	24.95	0.00
11	कन्या शिक्षा परिसर	5.10	4.80	4.88	0.08
12	निःशुल्क पाठय-पुस्तकों का प्रदाय	93.00	71.13	66.18	(-) 4.95
13	छत्तीसगढ़ किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत संस्थाएं	0.08	2.99	2.81	(-) 0.18
14	अंध, मूक एवं बधिरों के लिए स्कूल एवं संस्थाएं	8.18	8.91	8.92	0.01
15	इंदिरा गांधि राष्ट्रीय विधवा पेंशन	27.11	34.32	30.60	(-) 3.72
16	गैस कनेक्शन के लिए महिलाओं को आर्थिक सहायता	0.02	0.07	0.07	0.00
17	निर्धन युवक-युवतियों के विवाह	13.00	7.59	12.35	4.76
18	आयुष्मति योजना	0.75	0.07	0.23	0.16
19	महिला जागृति शिविर	2.95	1.31	2.25	0.94
20	सबला योजना	3.34	21.27	52.50	31.23
21	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार	25.74	112.25	228.43	116.18
22	एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण	7.10	5.74	8.94	3.20
23	राज्य स्तरीय संसाधन केंद्र	1.90	0.86	0.66	(-) 0.20
24	क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण केंद्र	1.08	0.56	0.56	0.00
	योग	**667.99**	**804.94**	**879.75**	

[5] बालिकाओं के बुनियादी स्तर पर शिक्षण का राष्ट्रीय कार्यक्रम।

परिशिष्ट-2.1 (अ)

(संदर्भः कंडिका-2.4.1; पृष्ठ- 50)

विवरण जहाँ प्रत्येक में बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था

(₹ करोड़ में)

सं.क्र	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
(अ)-राजस्व दत्तमत					
1	1	सामान्य प्रशासन	127.81	27.98	21.89
2	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	567.48	126.00	22.20
3	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	111.00	26.12	23.52
4	13	कृषि	725.57	173.70	23.94
5	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	293.98	70.54	23.99
6	15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	232.66	56.42	24.25
7	18	श्रम	98.12	33.63	34.27
8	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	96.34	43.07	44.70
9	27	स्कूल शिक्षा	2,895.96	720.41	24.88
10	28	राज्य विधान मंडल	34.18	11.63	34.03
11	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	266.74	70.29	26.35
12	30	पंचायत एवं ग्रामीण विभाग से संबंधित व्यय	778.20	211.47	27.17
13	31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	47.91	15.99	33.38
14	34	समाज कल्याण	61.34	12.78	20.83
15	36	परिवहन	43.87	16.90	38.52
16	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	4,702.43	1,072.97	22.82
17	43	खेल एवं युवा कल्याण	60.02	40.50	67.48
18	44	उच्च शिक्षा	530.65	140.49	26.48
19	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	187.14	60.76	32.47
20	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला अनुदान	462.53	142.55	30.82
21	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	102.00	24.61	24.13
22	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	602.88	204.78	33.97
23	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1,478.54	398.96	26.98
24	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण	541.88	347.11	64.06
25	71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	58.00	11.99	20.68
26	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	326.28	84.63	25.93
योग (अ)			**15,433.51**	**4,146.28**	

1	2	3	4	5	6
(ब) पूंजीगत दत्तमत					
27	03	पुलिस	46.25	11.17	24.15
28	10	वन	20.00	10.26	51.30
29	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	42.80	35.47	82.87
30	13	कृषि	210.20	124.83	59.43
31	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	51.15	44.72	87.42
32	23	जल संसाधन विभाग	420.86	94.01	22.34
33	37	पर्यटन	30.60	26.20	85.62
34	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2,021.34	626.73	31.00
35	42	आदिवासी उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	453.72	185.03	40.78
36	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	41.50	37.21	89.66
37	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला अनुदान	368.81	301.01	81.62
38	53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	43.50	43.50	100.00
39	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	83.18	18.00	21.64
40	57	जल संसाधन विकास से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	23.00	20.18	87.74
41	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	967.19	296.27	30.63
42	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	397.16	124.31	31.30
43	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	184.70	67.02	36.29
44	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नार्बाड सहायता प्राप्त परियोजनाएं	150.20	88.84	59.15
45	76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	300.00	299.08	99.69
46	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	36.20	27.81	76.82
47	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	217.50	217.50	100.00
योग (ब)			**6,109.86**	**2,698.85**	
(स) राजस्व भारित					
48	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	180.00	63.00	35.00
49	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	37.11	12.03	32.42
योग (स)			**217.11**	**75.03**	
कुल योग (अ+ब+स)			**21,760.48**	**6,920.56**	

परिशिष्ट-2.1 (ब)

(संदर्भः कंडिका-2.4.1; पृष्ठ-50)

वर्ष 2013-14 के दौरान बहुत अधिक बचत (₹20 करोड़ एवं उससे अधिक) का उप-शीर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

सं.क्र	मुख्य शीर्ष	योजनाओं का नाम	बचत	कारण
27-स्कूल शिक्षा				
1	2202-सामान्य शिक्षा	माध्यमिक शालाएं	34.83	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
2		शासकीय प्राथमिक शालाएं	37.95	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
3		माध्यमिक शालाएं	110.77	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
4		शासकीय प्राथमिक शालाएं	75.69	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
5		अशासकीय विद्यालयों को अनुदान	21.78	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
6		सर्व शिक्षा अभियान	112.87	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
7		इमारतों का अनुरक्षण लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत	34.33	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
8		उच्चतर माध्यमिक शालाएं	34.49	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
9		उच्चतर माध्यमिक शालाएं	98.53	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
10		यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	23.90	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय				
11	2408- खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार	पीली मटर दाल वितरण योजना	41.87	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
12	4408- खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय	नगरीय क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण हेतु	25.00	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना				
13	2202- सामान्य शिक्षा	सर्व शिक्षा अभियान	137.30	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
14	2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	31.72	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
15	2403- पशु-पालन	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	20.17	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
16	2505- मछली -पालन	महात्मा गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	44.34	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
17	5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परीव्यय	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	22.00	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
18		मुख्य मंत्री ग्राम गौरवपथ योजना	25.08	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल				
19	5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	वृहद पुलों का निर्माण	63.37	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
20		न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम	57.22	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
21		मुख्य जिला कार्यक्रम	32.37	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)

सं.क्र	मुख्य शीर्ष	योजनाओं का नाम	बचत	कारण
64- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना				
22	2202-सामान्य शिक्षा	सर्व शिक्षा अभियान	112.87	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
23	5054- सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गो का निर्माण	28.73	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
76- लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
24	5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट-फेज-II	60.35	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
25		छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट-फेज-II (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)	114.00	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
26		छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट- फेज-II	124.73	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
80- त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
27	2202-सामान्य शिक्षा	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	29.98	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
28		शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	34.76	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
29		शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	68.35	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
30		शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	48.11	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)
31		राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	48.58	सूचना अप्राप्त (जुलाई - 2014)

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भः कंडिका- 2.4.2; पृष्ठ- 52)

प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

सं.क्र	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचत	अनुपूरक अनुदान
1	2	3	4	5	6	7
(अ) राजस्व दत्तमत						
1	1	सामान्य प्रशासन	119.97	99.83	20.14	7.85
2	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	18.35	17.08	1.27	2.01
3	3	पुलिस	2,076.92	2,066.49	10.43	123.01
4	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	17.86	15.43	2.43	1.95
5	5	जेल	86.89	76.47	10.42	6.05
6	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	566.69	441.48	125.21	0.79
7	9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	10.31	8.30	2.01	1.13
8	10	वन	730.57	659.48	71.09	1.99
9	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	95.64	84.88	10.76	15.36
10	13	कृषि	705.57	551.88	153.69	20.00
11	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	283.89	223.44	60.45	10.09
12	15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	224.20	176.24	47.96	8.47
13	16	मछली पालन	37.22	36.19	1.03	3.15
14	17	सहकारिता	170.04	139.19	30.85	1.00
15	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	735.88	712.60	23.28	66.03
16	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	321.90	269.04	52.86	1.82
17	26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	20.16	17.47	2.69	0.54
18	27	स्कूल शिक्षा	2,880.11	2,175.55	704.56	15.85
19	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	235.85	196.45	39.40	30.89
20	33	आदिम जाति कल्याण	1,257.08	1,252.34	4.74	4.00
21	34	समाज कल्याण	58.34	48.56	9.78	3.00
22	36	परिवहन	42.71	26.97	15.74	1.16
23	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3,945.01	3,629.46	315.55	757.42
24	43	खेल एवं युवा कल्याण	55.02	19.52	35.50	5.00
25	44	उच्च शिक्षा	507.55	390.16	117.39	23.10
26	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	48.65	47.59	1.06	0.99
27	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	180.14	126.37	53.77	7.00
28	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला अनुदान	441.63	319.98	121.65	20.90
29	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	94.50	77.39	17.11	7.50
30	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	649.22	535.93	113.29	2.58
31	56	ग्रामोद्योग	64.33	59.30	5.03	1.40

1	2	3	4	5	6	7
32	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	414.08	398.11	15.97	188.81
33	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1,228.28	1,079.58	148.70	250.26
34	65	विमानन विभाग	19.53	15.31	4.22	1.36
35	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	361.33	354.28	7.05	9.14
36	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण	470.33	194.77	275.56	71.54
37	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	315.57	241.66	73.91	10.72
38	80	त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2,878.87	2,542.42	336.45	150.83
39	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,573.40	1,320.98	252.42	62.36
कुल अ			**23,943.59**	**20,648.17**	**3,295.42**	**1,897.05**
(ब) पूंजीगत दत्तमत						
40	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	435.00	22.00	413.00	22.00
41	13	कृषि	200.20	85.27	114.93	20.00
42	23	जल संसाधन विभाग	410.82	326.85	83.97	10.04
43	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	1,958.27	1,394.61	563.66	63.06
44	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	448.52	268.69	179.83	5.20
45	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	564.20	505.18	59.02	66.00
46	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	37.50	4.29	33.21	4.00
47	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला अनुदान	329.32	67.80	261.52	39.48
48	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	937.01	670.92	266.09	30.18
49	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	1.63	1.11	0.52	9.31
50	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	371.60	272.85	98.75	25.56
योग ब			**5,694.07**	**3,619.57**	**2,074.50**	**294.83**
महायोग -(अ+ब)			**29,637.66**	**24,267.74**	**5,369.92**	**2,191.88**

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भः कंडिका-2.4.3; पृष्ठ- 52)

निधियों का आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(जहाँ आधिक्य/बचत ₹ 20 करोड़ से अधिक है)

(₹ लाख में)

सं.क्र	अनुदान संख्या एवं विवरण	लेखे का शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल + अनुपूरक)	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/बचत(-)
1	2	3	4	5	6
1	24-लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल	5054-04-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) - 1513 जिलों की मुख्य सड़कों का निर्माण	15,085.00	9,500.00	3,144.55
2	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	4408-02-195-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 7478- नगरीय क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण हेतु	3,500.00	-1,000.00	-2,500.00
3	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2236-02-796-101-070 केन्द्र प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) 2414-आदिवासी क्षेत्रों में विशेष आहार योजना	17,480.00	-11,492.81	9,824.33
4	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2505-60-796-196-0702 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 6728- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	10,600.00	-1,000.00	-4,434.31
5	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	5054-04-796-337-0312- नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 8650- मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ येजना	9,500.00	3,813.93	-2,508.48
6	42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-04-796-337-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 3539- मुख्य जिला सड़कें	13,530.00	-2,035.00	-3,237.44
7	55-महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	2236-02-101-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 9050- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	22,850.00	-13,734.09	11,446.85
8	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	2236-02-789-101-0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 2179- अनुसूचित जाति के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम	5,520.00	-4,783.04	3,694.88
9	82-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2515-796-196-1002 अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 7019- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	32,500.00	-15,328.00	4,167.00

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भः कंडिका-2.4.4; पृष्ठ- 52)

(वर्ष के दौरान किए गए सारभूत समर्पण/विनियोग के परिणाम)

(₹ लाख में)

सं.क्र	अनुदान का शीर्षक एवं संख्या	योजनाओं का नाम	कुल प्रावधान	समर्पण	समर्पण का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	01-सामान्य प्रशासन	2070-104-5460 विशेष अन्वेषण स्थापना (एस. आई.ई.)	89.53	52.73	58.90
2		2012-03-105-1357 चिकित्सा सुविधाएं	8.00	5.19	64.88
3		2012-03-107-8696- केन्द्रीय आवासों की साज सज्जा एवं मरम्मत	7.50	5.08	67.73
4		2012-03-800-3609 अन्य व्यय	16.55	12.55	75.83
5	02-सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय	2070-800-5079 विशेष जांच आयोग	98.01	73.45	74.94
6	03-पुलिस	2055-003-0801 केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-8917- काउन्टर इंसरजेंसी एण्ड एन्टी टेरोरिस्ट स्कूल	300.00	300.00	100.00
7		2055-109-121 केन्द्रीय पुलिस बल तैनाती	550.00	478.41	86.98
8		2070-107-5544 होमगार्ड बल का आधुनिकीकरण	190.00	190.00	100.00
9	04-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2070-106-0801-7465 रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेंस	125.72	118.13	93.96
10		2235-60-200-7495 अपराध पीड़ितों के लिए पीड़ित क्षतिपूर्ति	100.00	105.00	105.00
11	06-वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2047-103-9120 संचालन	112.75	58.29	51.70
12		2052-091-1201 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य) 6725- यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रय के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	67.00	59.59	88.94
13		2054-095-8904 ऑडिट सेल का गठन	250.00	250.00	100.00
14		2435-60-101-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 5628- कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्त हेतु ब्याज अनुदान	4,000.00	2,611.60	65.29
15		2435-60-101-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 8671- लघु एवं सीमान्त कृषक ऋण माफी योजना	100.00	100.00	100.00
16		2885-60-190-4843- अधोसंरचना विकास निगम	530.00	500.00	94.34
17	07-वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित व्यय	2039-102-1111- आबकारी सामग्री की खरीद	350.00	304.14	86.90
18		2039-102-8629- नये सिनेमा घर/मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर को प्रोत्साहन	1,000.00	1,000.00	100.00
19	08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-103-8910 पर्यावरण निधि से व्यय	4,500.00	4,500.00	100.00
20		2029-103-8911- अधोसंरचना निधि से व्यय	4,500.00	4,500.00	100.00

1	2	3	4	5	6
21	08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-103-0801- केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य 9981- लघु सिंचाई योजनाओं की संगणना मानदेय तथा अन्य आकस्मिक व्यय	53.50	46.05	86.07
22		2029-103-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 6337- भू-अभिलेख का अद्यतिकरण	2,346.99	1,403.49	59.80
23		2029-797-6753- पर्यावरण निधि का अन्तरण	6,500.00	4,235.95	65.17
24		2052-099-3657-राजस्व बोर्ड	359.00	189.85	52.88
25		2029-797-6754 अधोसंरचना विकास निधि में अंतरण	6,500.00	4,235.95	65.17
26		6401-800-862- कृषक ऋण विधान	20.00	20.00	100.00
27	10-वन	2406-02-110-0801 केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य 5502- प्रोजेक्ट एलीफेन्ट	250.00	204.57	81.83
28		2406-02-110-0701 केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य 6539- राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास	1,000.00	596.37	59.64
29		4406-01-101-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 5538- एकीकृत वन सुरक्षा (संरक्षण) योजना	1,500.00	976.93	65.13
30	11-वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	2852-80-102-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 8890- खाद्य प्रसंस्करण सहायता अनुदान	1,436.00	798.00	55.57
31		2852-80-800-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 5520- छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिडिट रायपुर	150.00	150.00	100.00
32		2852-80-800-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 8928- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	100.00	81.48	81.48
33		2852-80-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 9068- औद्योगिक इकाइयों को लागत पूंजी अनुदान	700.00	358.53	51.22
34		4851-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 6742- औद्योगिक पार्को के लिए अनुदान	1,000.00	1,000.00	100.00
35		4851-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 9219- भू-अर्जन तथा भूमि विकास क्षतिपूर्ति का भुगतान	1,000.00	1,000.00	100.00
36		4851-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 9232- औद्योगिक क्षेत्र/संस्थानों में सड़क नालियों आदि का निर्माण	1,500.00	967.39	64.49
37		4851-101-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 9233 औद्योगिक क्षेत्र/संस्थानों में जल प्रदाय	700.00	500.00	71.43
38	12-ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	2501-04-101-0410- ऊर्जा विकास निधि (सामान्य) 3220- छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेन्सी को सहायक अनुदान	1,138.00	788.00	69.24

1	2	3	4	5	6
39	12-ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	2801-06-800-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 6825- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युती करण योजना हेतु	1,250.00	688.00	55.04
40		4801-05-190-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 7498- पूंजीगत व्यय विद्युत पारेषण/उत्पादन/वितरण कम्पनी	43,500.00	43,500.00	100.00
41	13- कृषि	2401-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8900- जैविक खेती मिशन	150.00	102.39	68.26
42		2401-108-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 4838- मैक्रो मेनेजमेंट वर्किंग प्लान	1,250.00	1,157.28	92.58
43		2401-109-5278 राज्य स्तरीय प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना	120.24	70.76	58.85
44		2401-110-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 8702- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (कार्पस ऑफ फन्ड) प्रोत्साहन योजना	500.00	274.35	54.87
45		2401-113-0801 केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य) 5494- किसानों के खेत पर नवविकसित कृषि उपकरणों (उद्यानिकी उपकरणों सहित) का प्रदर्शन	70.00	48.86	69.80
46		2401-113-0801 केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य) 7333- पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालॉजी कृषि यंत्रों के प्रचार प्रसार	145.00	95.95	66.17
47		2401-113-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 8906- कृषि उद्यमियों को ब्याज अनुदान	100.00	100.00	100.00
48		2401-119-1001 अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 7242- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	7,000.00	5,404.73	77.21
49		2401-119-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 2794- स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु अनुदान	1,300.00	1,099.00	84.54
50		2401-119-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 8901- टिशु कल्चर लैब की स्थापना	143.75	143.75	100.00
51		6401-105-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 7283- छ.ग. राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु सहायता	20,000.00	11,500.00	57.50
52		6401-105-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 8936- ज्वाईंट लायबिलिटी ग्रुप को ऋण अनुदान	1,000.00	1,000.00	100.00
53	15-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202-01-197-0803 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना) 327- अस्वच्छ धंधे में लगे लोगो के बच्चों के लिए आश्रम, छात्रवृतियां	150.00	86.00	57.33
54		2515-789-196-0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना) 8668- राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	1,352.76	1,248.43	92.29
55		2515-789-198-0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना) 7424- राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना	100.00	100.00	100.00
56	16-मछली पालन	2415-05-004-8896- मछुआ कल्याण बोर्ड की स्थापना	67.00	42.00	62.69

1	2	3	4	5	6
57	18-श्रम	2230-01-001-4268- श्रम आयुक्त	455.75	232.16	50.94
58		2230-01-102-5810 औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	399.60	266.69	66.74
59		2230-01-112-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 2837- बंधक मजदूरों की पुनर्वास योजना	610.00	468.60	76.82
60		4250-201-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 8352- राज्य में बीड़ी मजदुरों के लिए आवास निर्माण	350.00	350.00	100.00
61	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215-01-102-1202- ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं का अनुरक्षण	550.00	500.00	90.91
62		2215-01-192-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 5099- चरोदा (भिलाई) जल प्रदाय योजना	200.00	200.00	100.00
63		2215-01-192-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 6897- दल्लीराजहरा जल प्रदाय योजना	100.00	100.00	100.00
64		2215-01-193-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 7387- पण्डातराई जल प्रदाय योजना	50.00	50.00	100.00
65		2215-01-193-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 7391- सरिया जल प्रदाय योजना	50.00	50.00	100.00
66		2215-01-193-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 8565- भखरा-भठेली जल प्रदाय योजना	50.00	50.00	100.00
67		2215-01-193-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 8566- मगरलोड भैसमुड़ी जल प्रदाय योजना	50.00	50.00	100.00
68		2215-01-193-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 8612- पाटन आवर्धन जल प्रदाय योजना	100.00	100.00	100.00
69		2215-01-193-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 8613- उतई जल प्रदाय योजना	50.00	50.00	100.00
70		2215-01-193-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 8616- कुसुमकसा नल जल प्रदाय योजना	50.00	50.00	100.00
71		2215-01-800-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 9938- भू-जल स्त्रोतों का रिचार्जिग	250.00	250.00	100.00
72		2215-02-107-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 5504- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान	1,000.00	1,000.00	100.00
73		2215-02-107-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 6841- जल निकासी योजना	100.00	100.00	100.00
74		4215-02-106-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 5699- शालाओं की शौचालय व्यवस्था	250.00	250.00	100.00
75		4215-02-106-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 6899- बटालियन एवं पुलिस लाइन हेतु शौचालय का निर्माण	50.00	46.30	92.60

1	2	3	4	5	6
76	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	6215-01-101-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 2182- नगरीय नई जल प्रदाय योजना	2,500.00	2,019.39	80.80
77	21-आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	2216-02-190-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 7444- विकास नगर योजना	5,000.00	2,750.00	55.00
78		2217-01-051-1201 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य) 7334- जी.ई.एफ. सहायित एस.यू.टी.पी. योजना	500.00	300.00	60.00
79		2217-05-800-8892- छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण	50.00	50.00	100.00
80		4217-01-051-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य) 7334- जी.ई.एफ. सहायित एस.यू.टी.पी. योजना	3,500.00	2,876.97	82.20
81		4217-01-051-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 5371- नया रायपुर विकास प्राधिकरण	24,775.00	18,727.04	75.59
82	23-जल संसाधन विभाग	4700-02-800-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 5685- बांध सुरक्षा एवं सुदृढ़ीकरण	500.00	293.23	58.65
83		4700-06-800-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	1,000.00	866.12	86.61
84		4700-08-800-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 2884- नहर तथा उससे संबंधित कार्य	500.00	402.63	80.53
85		4700-10-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 2884- नहर तथा उससे संबंधित कार्य	1,400.00	866.83	61.92
86		4700-12-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 2884- नहर तथा उससे संबंधित कार्य	5,000.00	3,500.51	70.01
87		4700-80-005-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 4416- सर्वेक्षण	200.00	188.36	94.18
88		4701-10-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 2898- बांध तथा संलग्न कार्य	200.00	200.00	100.00
89		4701-38-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 2898- बांध तथा संलग्न कार्य	600.00	488.99	81.50
90		4701-47-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 2898- बांध तथा संलग्न कार्य	50.00	50.00	100.00
91		4701-80-800-0101- बांध तथा संलग्न कार्य 5678- छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना	1,000.00	1,000.00	100.00
92		4711-01-103-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 6757- खाद्य नियंत्रण परियोजना	2,000.00	1,082.00	54.10
93		4700-04-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 2884 नहर तथा उससे संबंधित कार्य	200.00	192.03	96.02
94		4700-80-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 4948- डिक्री धन का भुगतान	20.00	18.90	94.50

1	2	3	4	5	6
95	24-लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल	5054-04-337-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 1513- जिलों की मुख्य सड़कों का निर्माण	15,085.00	9,500.00	62.98
96	30-पंचायत तथा ग्रामीण विभाग से संबंधित व्यय	2235-60-196-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 7291- आम आदमी बीमा योजना	300.00	250.00	83.33
97		2501-02-196-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 7350- एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम	1,370.11	1,198.13	87.45
98		2515-101-2467- पंचायत संचालनालय	297.20	219.53	73.87
99		2515-101-2474- पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार	7,100.00	6,545.57	92.19
100		4515-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 3064- भवन निर्माण	40.00	40.00	100.00
101		5054-04-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 4871- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गो पर पुलों का निर्माण	1,800.00	1,800.00	100.00
102	31-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	3451-101-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य) 6725- यूरोपियन कमीशन राज्य सांझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	774.20	772.41	99.79
103	33-आदिम जाति कल्याण	2225-02-277-0801- केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य) 5325- व्यवसायिक प्रशिक्षण शिक्षा	300.00	300.00	100.00
104	34-समाज कल्याण	2235-02-101-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 5650- जिला निःशक्त पुनर्वास केन्द्र	70.00	51.19	73.13
105	35-पुनर्वास	2235-01-200-3135- भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये नव अप्रवासियों की पुर्नस्थापना	104.40	104.40	100.00
106	37- पर्यटन	5452-01-101-0701- केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य) 7009- प्रत्येक जिलों में पर्यटन केन्द्रों का विकास	2,180.00	2,180.00	100.00
107		5452-01-102-0101- केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य) 5613- जिलों में नवीन टूरिस्ट मोटल्स का निर्माण	880.00	440.28	50.03
108	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	2408-01-102-3229- नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	200.00	200.00	100.00
109		2408-01-102-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 8673- कोर पी.डी.एस. मेरी मर्जी योजना	350.00	192.50	55.00
110		2408-01-106-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 8933- शक्कर वितरण योजना	1,975.00	1,975.00	100.00
111	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2202-01-796-109-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 3437- मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना	999.00	650.30	65.10
112		2202-02-796-109-0802 केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना) 2675- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृतियां	2,300.00	1,341.48	58.33

1	2	3	4	5	6
113	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2202-02-796-109-0802 केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 8956- प्री-मैट्रिक छात्रवृति	6,205.17	6,205.17	100.00
114		2202-02-796-109-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 2194- विशेष कोचिंग केन्द्र योंजना	175.00	103.27	59.01
115		2202-02-796-109-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 2501-परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	200.00	186.94	93.47
116		2202-02-796-109-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 6755 - कम्प्यूटर शिक्षा योजना	200.00	200.00	100.00
117		2202-02-796-109-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 762- कन्या शिक्षा योजना	221.00	201.48	91.17
118		2202-02-796-109-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8549- विज्ञान-वाणिज्य शिक्षा प्रोत्साहन योजना	218.10	139.87	64.13
119		2203-796-105-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 2667- पॉलीटेक्निक	430.20	324.86	75.51
120		2210-80-796-800-0702 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 6960- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	894.90	650.00	72.63
121		2215-01-796-192-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 7315- जशपुर जल प्रदाय योजना	400.00	260.00	65.00
122		2215-01-796-193-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 6882- किरनदुल जल प्रदाय योजना	200.00	200.00	100.00
123		2215-01-796-193-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 7369-पंखाजुर जल प्रदाय योजना	150.00	150.00	100.00
124		2215-01-796-193-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8620- नईलेदरी नल जल प्रदाय योजना	100.00	100.00	100.00
125		2215-01-796-193-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8621- खेंगापरनी नल जल प्रदाय योजना	100.00	100.00	100.00
126		2215-01-796-800-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 9938- भू-जल स्रोतों का रिचार्जिग	100.00	100.00	100.00
127		2215-02-796-107-0702 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 5504- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान	100.00	100.00	100.00
128		2225-02-796-102-0602- अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित 5212 - माडा क्षेत्र में स्थानीय विकास कार्यक्रम	1,074.70	572.95	53.31
129		2225-02-796-102-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 7344- छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास कार्यक्रम	120.00	75.00	62.50
130		2230-03-796-003-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 717- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	231.50	131.52	56.81

1	2	3	4	5	6
131	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2230-03-796-101-0702 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 7438 स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन	283.00	240.34	84.93
132		2235-02-796-102-0702 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 9130- एकीकृत बाल विकास सेवाओं का पर्यवेक्षण	286.70	155.12	54.11
133		2235-02-796-103-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 7265- अनैतिक व्यापार की रोकथाम हेतु कार्यक्रम	125.00	118.70	94.96
134		2236-02-796-101-0702 केन्द्र प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) 414- आदिवासी क्षेत्रों में विशेष आहार योजना	17,480.00	11,492.81	65.75
135		2401-796-102-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) 5411-आईसोपाम विकास योजना	836.00	491.66	58.81
136		2401-796-103-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8634- दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना	133.00	131.87	99.15
137		2401-796-108-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 4838- माइक्रो मैनेजमेंट वार्किंग प्लान	950.00	939.60	98.90
138		2401-796-110-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8702 - राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (कार्पस फण्ड)	380.00	219.86	57.86
139		2401-796-113-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8906- कृषि उद्यमियों को ब्याज अनुदान	76.00	76.00	100.00
140		2401-796-119-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 7242 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	5,320.00	4,339.07	81.56
141		2406-01-796-101-0602- अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित 3874- वन ग्रामों का विकास	100.00	100.00	100.00
142		2406-01-796-102-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 5091- लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना	287.50	187.50	65.22
143		2406-01-796-800-0802- केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 5231- लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान	200.00	200.00	100.00
144		2408-01-796-190-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8933- शक्कर वितरण योजना	1,501.00	1,501.00	100.00
145		2425-796-107-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8930- प्रस्तावित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जशपुर को अनुदान	500.00	500.00	100.00
146		2501-02-796-196-0702 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 7350 - एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम	1,041.28	910.58	87.45

1	2	3	4	5	6
147	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2801-06-796-101-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 6825 - राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	950.00	523.00	55.05
148		2810-02-796-800-1002- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 8670- सोलर लैम्प/सोलर स्टडी लैम्प का निःशुल्क प्रदाय	1,506.00	1,506.00	100.00
149		2810-60-796-902-0410- उर्जा विकास निधि - 3220- छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेन्सी को सहायक अनुदान	466.50	266.50	57.13
150		2851-796-104-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8562- कोंडागॉव में शिल्प सिटी की स्थापना	200.00	110.00	55.00
151		2852-80-796-800-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 5451- अंशपूंजी सहायता योजना	100.00	82.85	82.85
152		2210-06-796-101-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 4244- शीत ज्वर	1,065.20	610.00	57.28
153		2401-796-103-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना - 8802- वनग्रामों के पट्टाधारी कृषकों को निःशुल्क प्रमाणित बीज एवं उर्वरक वितरण	500.00	357.02	71.40
154		2801-06-796-800-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 6501- एकल बत्ती कनेक्शन हेतु अनुदान	4,226.70	3,165.00	74.88
155		4202-01-796-202-1002- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-1400 छात्रवास तथा आश्रम भवन का निर्माण	100.00	100.00	100.00
156		4202-01-796-202-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 1400- छात्रवास तथा आश्रम भवन का निर्माण	5,822.00	2,988.49	51.33
157		4202-02-796-103-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 717- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं	700.00	694.62	99.23
158		4202-02-796-103-0702 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7438 स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन	1,500.00	1,023.08	68.21
159		4202-02-796-103-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना -717 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं	700.00	550.84	78.69
160		4202-02-796-104-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 2668- पॉलीटेक्निक संस्थाएं	1,100.00	1,100.00	100.00
161		4202-02-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना - 2667- पॉलीटेक्निक	350.00	279.34	79.81
162		4215-02-796-106-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 5699- शालाओं की शौचालय व्यवस्था	150.00	150.00	100.00
163		4700-03-796-800-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 2898-बांध एवं संलग्न कार्य	1,100.00	597.44	54.31
164		4701-16-796-800-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 3366- मध्यम परियोजनाओं का निर्माण	100.00	100.00	100.00

1	2	3	4	5	6
165	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	4701-17-796-800-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 3366- मध्यम परियोजनाओं का निर्माण	100.00	100.00	100.00
166		4701-22-796-800-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 3366- मध्यम परियोजनाओं का निर्माण	100.00	100.00	100.00
167		4701-23-796-800-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 3366- मध्यम परियोजनाओं का निर्माण	100.00	100.00	100.00
168		4701-24-796-800-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 3366- मध्यम परियोजनाओं का निर्माण	110.00	108.99	99.08
169		4702-796-101-0702 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7405- मरम्मत/जवीनीकरण/पुनरोद्धार	10,000.00	8,982.95	89.83
170		4702-796-102-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 7422- औद्योगिक जल आधरभूत विकास	7,000.00	5,167.54	73.82
171		5054-04-796-101-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 4871- सड़क पर पूलों का निर्माण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	6,000.00	6,000.00	100.00
172		6215-01-796-101-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 2182- नगरीय नई जल प्रदाय योजनाएं	700.00	628.40	89.77
173		6401-796-105-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 7283- छ.ग. राज्य विपणन संध को उर्वरक व्यवसाय हेतु ऋण	15,200.00	11,900.00	78.29
174		4701-08-796-800-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 3366- मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	300.00	299.10	99.70
175		4701-80-796-800-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 1831- डिक्री धन का भुगतान	5.00	5.00	100.00
176		4702-796-800-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 1831- डिक्री धन का भुगतान	10.00	10.00	100.00
177	43-खेल एवं युवा कल्याण	2204-103-2323 निर्देशन एवं प्रशासन	586.83	305.66	52.09
178		2204-104-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 7304- पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान	2,915.00	2,915.00	100.00
179		2204-104-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 1079- खिलाडियों को प्रशिक्षण	165.00	100.15	60.70
180		2204-104-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 5226- मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि	165.00	144.00	87.27
181		2204-104-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 7296- खेल अकादमी	110.00	108.63	98.75
182		2204-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 7473- सैतीसवें राष्ट्रीय खेल	100.00	100.00	100.00
183	44-उच्च शिक्षा	2202-05-102-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 5716 हिन्दी ग्रंथ अकादमी	55.00	50.00	90.90

1	2	3	4	5	6
184	45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-101-0701- राज्य आयोजना (सामान्य) 7405- मरम्मत/पुर्ननवीनीकरण/पुनरोद्धार	2,500.00	1,439.59	57.58
185	45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 5678- छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास योजना	1,000.00	1,000.00	100.00
186	45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-102-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 9284- नलकूप की स्थापना	1,010.00	841.83	83.35
187	47- तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	2203-105-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 2668 - पॉलीटेक्निक संस्थाएं	150.00	150.00	100.00
188		2203-105-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 2668- पॉलीटेक्निक संस्थाएं	1,256.70	832.93	66.28
189		2203-112-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 7341- आई.आई.आई.टी की स्थापना	100.00	100.00	100.00
190		2203-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 8643- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ब्याज अनुदान योजना	100.00	100.00	100.00
191		2230-03-001-9148 प्रशिक्षण संचालनालय	287.00	161.42	56.24
192		2230-03-003-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 717- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	1,835.90	1,136.57	61.91
193		2230-03-003-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 7438- स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन	400.00	230.00	57.50
194		2230-03-003-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 8935- लाइवलिहुड कॉलेज	500.00	496.97	99.39
195		4202-02-103-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 717- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	1,000.00	864.38	86.44
196		4202-02-104-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 2668- पॉलीटेक्निक संस्थाएं	1,150.00	1,150.00	100.00
197		4202-02-104-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 2668- पॉलीटेक्निक संस्थाएं	500.00	393.50	78.70
198		4202-02-105-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 502- पॉलीटेक्निक संस्थाएं	100.00	50.42	50.42
199	48-तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	2014-103-7416- तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	1,091.20	960.20	87.99
200		2014-105-7416- तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	196.43	196.40	99.98
201		2203-800-1303 वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7416 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	108.00	103.50	95.83
202		2203-800-1301- वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जाति उपयोजना) 7416- तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	450.00	351.69	78.15

1	2	3	4	5	6
203	48-तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	3054-04-105-7416- तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	9,600.00	9,600.00	100.00
204		3454-02-800-1303 वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7416 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	216.40	216.40	100.00
205		3454-02-800-1302 वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जाति उपयोजना) 7416- तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	691.60	691.60	100.00
206		3454-02-800-1301 वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य) 7416 - तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	910.00	910.00	100.00
207		4216-01-106-1302 वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 7416 - तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	2,040.00	2,040.00	100.00
208		4216-01-106-1301 वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य) 7416 - तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	4,210.00	4,210.00	100.00
209		4217-01-051-1301- वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य) 7416 - तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	13,750.00	13,750.00	100.00
210		4235-02-102-1303- वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) - 7416 - तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	450.00	450.00	100.00
211		4235-02-102-1302 वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7416 - तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	1,425.00	1,425.00	100.00
212		4235-02-102-1301 वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य) 7416 - तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	1,875.00	1,875.00	100.00
213	50- बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	2053-800-2987- बीस सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन	207.70	122.62	59.04
214	51-धार्मिक न्यास और धर्मस्व	2250-800-3379 मंदिर आदि को परिपोषण अनुदान	38.50	34.00	88.31
215		2250-800-6292-शासकीय मंदिरों का पुनरोद्धार	100.00	100.00	100.00
216	53-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6217-60-789-191-0103 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 7241-नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	2,103.00	2,103.00	100.00
217		6217-60-789-192-0103 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 7241- नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	1,095.00	1,095.00	100.00

1	2	3	4	5	6
218	53-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6217-60-789-192-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - 7329- विशिष्ट प्रयोजनार्थ	150.00	150.00	100.00
219		6217-60-789-193-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 7241- नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	1,002.00	1,002.00	100.00
220	54-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	2415-01-120-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 9182- इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	3,800.00	2,461.00	64.76
221	55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	2235-02-102-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 9949- एकीकृत बाल संरक्षण योजना	1,000.00	777.21	77.72
222		2235-02-103-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 6868- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण	50.00	50.00	100.00
223		2235-02-103-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 8665- मानसिक बीमार महिलाओं के लिए एकीकृत महिला सहायता केन्द्र (पारिजात)	120.00	87.84	73.20
224		2235-02-103-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 8809- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण (नव विवाह)	150.00	138.18	92.12
225		2236-02-101-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 7361- सबला योजना	2,752.50	1,598.43	58.07
226		2236-02-101-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 9050- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	22,850.00	13,734.09	60.11
227		2236-02-101-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 6904- न्यूट्रिशन सर्विलेंस योजना	100.00	62.79	62.79
228		4235-02-103-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 8680- नारी निकेतन भवन का निर्माण	50.00	50.00	100.00
229	56-ग्रामोद्योग	2851-103-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) - 6934- एकीकृत हथकरघा विकास योजना	162.00	98.64	60.89
230		2851-104-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 5635- हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण अनुदान	44.00	44.00	100.00
231		2851-104-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 7470- हस्तशिल्पियों में कार्यशिल पूंजी अनुदान	55.00	55.00	100.00
232		2851-104-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 8554- ग्रामीण हस्तशिल्प डिजाईन विकास संस्थान	50.00	50.00	100.00
233		2851-104-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 9201- प्रदर्शनी, प्रचार एवं प्रसार	132.00	132.00	100.00
234	57-जल संसाधन विकास से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4701-80-800-1201- विदोशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य) 5678- छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना	1,100.00	996.00	90.55
235		4702-101-1202- विदोशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना) 5678- छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना	200.00	193.67	96.84

1	2	3	4	5	6
236	57-जल संसाधन विकास से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4702-101-1201- विदोशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य) 5678- छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना	900.00	826.68	91.85
237	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-01-103-7345 पोषण आहार	200.00	200.00	100.00
238		2245-01-104-7346- चारा आपूर्ति	100.00	100.00	100.00
239		2245-01-105-5492- पशु धन का टीकाकरण/ टीकाद्रव्य उपलब्ध कराने हेतु	100.00	100.00	100.00
240		2245-01-282-7347- लोक स्वास्थ्य	200.00	200.00	100.00
241		2245-01-800-1467- जिला एवं अन्य सड़कें	1,600.00	1,600.00	100.00
242		2245-01-800-2389 निर्माण कार्य	800.00	800.00	100.00
243		2245-01-800-3819- लघु सिंचाई (कृषि)	1,500.00	1,500.00	100.00
244		2245-02-101-747- ओला पीड़ितों को सहायता	300.00	176.67	58.89
245		2245-02-104-7346- चारा आपूर्ति	100.00	100.00	100.00
246		2245-02-105-5492- पशु धन का टीकाकरण/ टीकाद्रव्य उपलब्ध कराने हेतु	200.00	200.00	100.00
247		2245-02-107-7349- मरम्मत	300.00	300.00	100.00
248		2245-02-108-7349- मरम्मत	100.00	100.00	100.00
249		2245-02-109-7349- मरम्मत	100.00	100.00	100.00
250		2245-02-110-2018- नगद दान	600.00	554.22	92.37
251		2245-02-112-5607- बाढ़ नियंत्रण	2,600.00	1,818.94	69.96
252		2245-02-112-7357- बाढ़ आदि में सहायता	800.00	696.06	87.00
253		2245-05-101-4849- राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से आपदा राहत निधि में अंतरण	3,000.00	3,000.00	100.00
254	60- जिला परियोजना से संबंधित व्यय	3451-102-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 7282 जिला योजना का सुदृढ़ीकरण	100.00	69.59	69.59
255	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	2202-02-789-109-0803 केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना) 8956- प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	2,475.25	2,475.25	100.00
256		2202-02-789-109-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 6755- कम्प्यूटर शिक्षा योजना	80.00	80.00	100.00
257		2210-06-789-800-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)-6960- राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना	282.60	200.00	70.77
258		2225-01-789-102-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 9550- नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ अन्तर्गत प्रचार प्रसार एवं प्रशासकीय सुदृढ़ीकरण	60.00	60.00	100.00
259		2230-03-789-003-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -717- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं	338.90	217.82	64.27
260		2236-02-789-101-0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना) 2179- अनुसूचित जाति के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम	5,520.00	4,783.04	86.65

1	2	3	4	5	6
261	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	2236-02-789-101-0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना) 7361- सबला योजना	550.00	536.13	97.48
262		2401-789-102-0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना) 5411- आइसोपाम विकास योजना	260.00	134.56	51.75
263		2401-789-108-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना) 4838- मैक्रो मैनेजमेंट वर्किंग प्लान	300.00	269.20	98.73
264		2401-789-110-0103 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - 8702- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (कार्पस फण्ड)	120.00	67.44	56.20
265		2401-789-119-1003- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 7242- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1,680.00	1,338.12	79.65
266		2401-789-119-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 2794- स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु अनुदान	216.00	191.00	88.43
267		2401-789-800-0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना) 2794- स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु अनुदान	180.00	145.00	80.56
268		2501-02-789-196-0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना) 7350- एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम	328.83	287.56	87.58
269		2501-04-789-902-0410 ऊर्जा विकास निधि - 3220 -छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास निधि को सहायता अनुदान	271.25	271.25	100.00
270		2801-06-789-101-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 6825- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु	300.00	165.00	55.00
271		2810-60-789-600-0410- ऊर्जा विकास निधि 3220- छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजेन्सी को सहायक अनुदान	200.00	200.00	100.00
272		2851-789-102-0103 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 6857- उद्योगों को ब्याज अनुदान	300.00	192.13	64.03
273		2852-80-789-800-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 5451- अंशपूंजी सहायता योजना	100.00	92.50	92.50
274		2852-80-789-800-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 9068- औद्योगिक इकाइयों को लागत पूंजी अनुदान	100.00	100.00	100.00
275		4202-01-789-202-0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना) 1400- आश्रम एवं छात्रावास भवन का निर्माण	750.00	750.00	100.00
276		4202-02-789-103-0103 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -717- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं	400.00	363.42	90.86

1	2	3	4	5	6
277	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	4215-01-789-102-0103 औद्योगिक - 5403- पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	600.00	591.78	98.63
278		4225-01-789-800-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - 5616- गिरोधपुरी एवं भंडारपुरी का समन्वित विकास	250.00	235.00	94.00
279		4225-01-789-800-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 5507- ग्राम गिरौदपुरी में जैतखम्भ का निर्माण	100.00	100.00	100.00
280		4225-01-789-800-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 6985- तेलासी बाड़ा का समन्वित विकास	100.00	100.00	100.00
281		4235-02-789-101-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 71- अंध, मूक और बधिरों के लिए शालाएं	120.00	120.00	100.00
282		4700-02-789-800-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - 2898- बांध तथा संलग्न कार्य	3,500.00	2,005.30	57.29
283		4700-08-789-800-0103 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - 2884- नहर तथा उससे संबंधित कार्य	1,100.00	1,076.50	97.86
284		4702-789-101-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - 3828- लघु सिंचाई योजना	3,000.00	1,564.96	52.17
285		6401-789-105-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - 7283- छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु ऋण	4,800.00	3,600.00	75.00
286	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	2202-02-107-0801- केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य) 7285- अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	224.00	133.84	59.75
287		2202-02-107-0801 केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य) 7286- अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	500.00	272.03	54.41
288		4225-03-277-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 1395- छात्रावास	50.00	50.00	100.00
289	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	4202-03-102-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 5226- मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि	1,200.00	1,000.00	83.33
290	68-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	4202-02-796-104-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8071 पॉलिटेक्निक भवनों का निर्माण	700.00	600.00	85.71
291		4210-01-796-110-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 395- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत अस्पताल भवन का निर्माण	812.00	700.00	86.21

1	2	3	4	5	6
292	69-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	2217-80-191-1001- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 6741- नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन	20,570.62	11,401.56	55.43
293		2217-80-191-1001- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 6807- एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती	6,600.00	3,608.53	54.67
294	69-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	2217-80-191-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 8630- राजीव आवास योजना	21,875.00	18,784.23	85.87
295		2217-80-191-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 9106- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	660.00	341.67	51.77
296		2217-80-192-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 9106- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	660.00	341.67	51.77
297	71-सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	3275-800-1001- राज्य आयोजना (सामान्य) 7276- डाटा सेंटर की स्थापना	292.75	250.00	85.40
298		3275-800-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 7278- राज्य में केपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम	182.30	182.30	100.00
299		3275-800-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 7482- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस प्रशिक्षण संस्थान	130.60	130.60	100.00
300		3275-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 7481- जैव प्रौद्योगिकी हेतु प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास की परियोजना	50.00	50.00	100.00
301		3275-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 8726- छत्तीसगढ़ इनफोटेंक प्रमोशन सोसायटी की स्थापना	200.00	120.00	60.00
302	75-जल संसाधन विभाग से संबंधित नार्बाड सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4701-01-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य) 5188- मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	100.00	100.00	100.00
303		4701-05-800-0311 नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य) 5188- मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	800.00	514.76	64.35
304		4702-101-0313- नाबार्ड पोषित योजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना) - 5189- लघु सिंचाई योजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	100.00	66.75	66.75
305		4702-101-0312- नाबार्ड पोषित योजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 5189- लघु सिंचाई योजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	7,300.00	4,897.62	67.09
306	80-त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2515-198-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 7424- राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना	150.00	150.00	100.00

1	2	3	4	5	6
307	81-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-191-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 7329- विशिष्ट प्रयोजनार्थ	1,500.00	1,500.00	100.00
308		2217-05-192-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 7329- विशिष्ट प्रयोजनार्थ	100.00	100.00	100.00
309		2217-05-193-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 7329- विशिष्ट प्रयोजनार्थ	50.00	50.00	100.00
310		6217-60-191-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 7241- नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	9,362.00	9,362.00	100.00
311		6217-60-191-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 7329- विशिष्ट प्रयोजनार्थ	3,500.00	3,500.00	100.00
312	81-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6217-60-192-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 7241- नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	4,563.00	4,563.00	100.00
313		6217-60-192-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 7329- विशिष्ट प्रयोजनार्थ	100.00	100.00	100.00
314		6217-60-193-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 7241 नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	4,175.00	4,175.00	100.00
315		6217-60-193-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) 7329 विशिष्ट प्रयोजनार्थ	50.00	50.00	100.00
316	82-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2515-796-196-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना) 8668- राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	4,283.73	3,997.84	93.33
317		2515-796-198-0702 केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना) 7424- राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना	50.00	50.00	100.00
318	83- अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6217-60-796-191-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना 7241- नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	6,660.00	6,660.00	100.00
319		6217-60-796-192-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 7241- नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	3,467.00	3,467.00	100.00
320		6217-60-796-193-0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 7241- नगरीय निकायों का अधोसंरचना विकास	3,173.00	3,173.00	100.00
		योग	**5,48,549.60**	**4,22,131.96**	

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भः कंडिका-2.4.5; पृष्ठ-53)

(वास्तविक बचत से अधिक समर्पण)

(प्रकरण जिसमें समर्पित राशि ₹ 50 लाख अथवा अधिक है)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या.	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल प्रावधान	बचत	समर्पण	अधिक समर्पित राशि
अ-राजस्व दत्तमत						
1	02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	20.36	3.28	4.49	1.21
2	03	पुलिस	2,199.93	133.44	144.86	11.42
3	07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	160.62	14.57	24.93	10.36
4	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	111.00	26.12	28.42	2.30
5	13	कृषि	725.57	173.70	175.98	2.28
6	15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	232.67	56.43	61.20	4.77
7	16	मछली पालन	40.36	4.18	6.01	1.83
8	23	जल संसाधन विभाग	344.10	10.03	22.77	12.73
9	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	778.20	211.47	265.41	53.94
10	33	आदिम जाति कल्याण	1,261.08	8.73	55.10	46.37
11	34	समाज कल्याण	61.34	12.78	13.37	0.59
12	49	अनुसूचित जाति कल्याण	59.59	3.93	6.41	2.48
13	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	651.79	115.87	248.10	132.23
14	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	602.88	204.78	235.57	30.79
15	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,635.76	314.77	377.51	62.74
योग-अ			**8,885.25**	**1,294.08**	**1,670.13**	**376.04**
ब-पूंजीगत दत्तमत						
16	23	जल संसाधन विभाग	420.86	94.00	99.46	5.46
17	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	630.20	125.02	125.94	0.92
योग- ब			**1,051.06**	**219.02**	**225.40**	**6.38**
महायोग (अ+ब)			**9,936.31**	**1,513.10**	**1,895.53**	**382.42**

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भः कंडिका-2.4.6; पृष्ठ-53)

(वास्तविक बचत से अधिक समर्पण)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगो का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक) अपर्याप्त सिद्ध हुआ

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत
अ-राजस्व दत्तमत			
1	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	70.54
2	19	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	89.30
3	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	128.26
4	26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	3.23
5	27	स्कूल शिक्षा	720.41
6	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	70.29
7	36	परिवहन	16.90
8	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	84.63
		योग-अ	**1,183.56**
ब-पूंजीगत दत्तमत			
9	19	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	9.23
10	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	16.37
11	27	स्कूल शिक्षा	3.86
12	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	185.03
13	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	67.02
14	76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	299.08
15	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	27.81
		कुल योग-ब	**608.40**
स- राजस्व भारित			
16	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	12.03
		योग-स	**12.03**
द-पूंजीगत भारित			
17	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1.42
		योग द	**1.42**
		महायोग (अ + ब + स + द)	**1,805.41**

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भः कंडिका-2.4.6; पृष्ठ-53)

₹ एक करोड़ एवं अधिक के बचत जो समर्पित नही किया गए

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	समर्पण	बचत जिसका समर्पण नही किया गया
1	2	3	4	5	6
अ-राजस्व दत्तमत					
1	01	सामान्य प्रशासन	27.98	21.13	6.85
2	04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	4.38	2.70	1.68
3	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	126.00	121.42	4.58
4	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	3.14	0.99	2.15
5	10	वन	73.09	68.99	4.1
6	18	श्रम	33.64	29.11	4.53
7	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	54.68	50.24	4.44
8	28	राज्य विधान मंडल	11.63	0.13	11.5
9	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय	215.60	170.07	45.53
10	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	1,072.97	795.90	277.07
11	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	142.55	132.04	10.51
12	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक	398.96	243.26	155.7
13	66	पिछडा वर्ग कल्याण	14.57	11.91	2.66
14	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	16.19	0.15	16.04
15	71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	11.99	7.99	4.00
16	80	त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	487.28	315.03	172.25
17	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	87.43	68.44	18.99
कुल योग- अ			**2,782.08**	**2,039.50**	**742.58**
ब-पूंजीगत दत्तमत					
18	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	44.72	27.60	17.12
19	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग सें संबंधित व्यय	229.56	216.09	13.47
20	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	20.62	19.46	1.16
21	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय	48.33	17.68	30.65
22	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	626.73	534.67	92.06
23	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	301.01	250.68	50.33
24	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक	296.27	215.89	80.38
25	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	124.31	0.08	124.23
कुल योग-ब			**1,691.55**	**1,282.15**	**409.40**
स- राजस्व भारित					
26	03	पुलिस	5.27	0.06	5.21
योग-स			**5.27**	**0.06**	**5.21**
महायोग (अ + ब + स)			**4,478.90**	**3,321.71**	**1,157.19**

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भः कंडिका-2.4.6; पृष्ठ-53)

31 मार्च 2014 की स्थिति में ₹ 10 करोड से अधिक के निधियों के समर्पण के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल प्रावधान	*समर्पण*	कुल प्रावधान का प्रतिशत
अ-राजस्व दत्तमत					
1	01	सामान्य प्रशासन	127.81	21.13	16.53
2	03	पुलिस	2,199.93	144.86	6.58
3	05	जेल	92.94	16.54	17.80
4	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2,637.09	52.26	1.98
5	07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	160.62	24.93	15.52
6	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	567.48	121.42	21.40
7	10	वन	732.56	68.99	9.42
8	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	111.00	28.42	25.60
9	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	388.95	15.81	4.06
10	13	कृषि	725.57	175.98	24.25
11	15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	232.67	61.20	26.30
12	17	सहकारिता	171.04	31.88	18.64
13	18	श्रम	98.12	29.11	29.67
14	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	323.72	50.24	15.52
15	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	96.34	43.04	44.67
16	23	जल संसाधन विभाग	344.09	22.77	6.62
17	30	पंचायत तथा ग्रामीण विभाग से संबंधित व्यय	778.20	265.41	34.11
18	31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	47.91	15.95	33.29
19	33	आदिम जाति कल्याण	1,261.08	55.10	4.37
20	34	समाज कल्याण	61.34	13.37	21.80
21	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	3,571.23	170.07	4.76
22	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	4,702.43	795.90	16.93
23	43	खेल एवं युवा कल्याण	60.02	40.55	67.56
24	44	उच्च शिक्षा	530.65	140.43	26.46
25	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	187.14	60.24	32.19
26	48	तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला अनुदान	462.53	132.04	28.55
27	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	102.00	24.61	24.13
28	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	651.79	248.10	38.06
29	57	जल संसाधन विभाग सें संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	23.00	20.18	87.74
30	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	602.88	235.57	39.07
31	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1,478.54	243.26	16.45
32	66	पिछडा वर्ग कल्याण	168.98	11.91	7.03
33	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण	541.88	347.11	64.06
34	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3,029.70	315.03	10.40
35	81	नगरीय निकाय को वित्तीय सहायता	1,529.22	68.44	4.48
36	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,635.76	377.51	23.08
कुल योग- अ			**30,436.19**	**4,489.36**	

ब-पूंजीगत दत्तमत					
37	03	पुलिस	46.25	11.17	24.15
38	10	वन	20.00	10.29	51.45
39	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	42.80	35.47	82.87
40	13	कृषि	210.20	125.00	59.47
41	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	51.15	27.60	53.96
42	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	282.80	216.09	76.41
43	23	जल संसाधन विभाग	420.86	99.46	23.63
44	30	पंचायत तथा ग्रामीण विभाग से संबंधित व्यय	390.45	19.46	4.98
45	37	पर्यटन	30.60	26.20	85.62
46	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	637.25	17.68	2.77
47	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2,021.34	534.67	26.45
48	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	630.20	125.94	19.98
49	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	41.50	36.96	89.06
50	48	तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला अनुदान	368.81	250.68	67.97
51	53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	43.50	43.50	100.00
52	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	83.18	18.05	21.70
53	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	967.19	215.89	22.32
54	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	10.93	10.19	93.23
55	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नार्बाड सहायता प्राप्त परियोजनाएं	150.20	88.84	59.15
56	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	217.50	217.50	100.00
योग- ब			**6,666.71**	**2,130.64**	
स राजस्व भारित					
57		ब्याज की अदायगी	1,536.73	81.36	5.29
कुल योग- स			**1,536.73**	**81.36**	
द पूंजीगत भारित					
58		लोक ऋण	933.14	243.49	26.09
कुल योग- द			**933.14**	**243.49**	
महायोग (अ + ब + स + द)			**39,572.77**	**6,944.85**	

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भः कंडिका-2.4.10; पृष्ठ-56)

विगत वर्षो के बजट प्रावधान से अधिक व्यय का नियमितीकरण वांछित

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों/विनियोगो का संख्या	अनुदान/विनियोग संस्थाएं	अतिवेग
2000-01	11 अनुदान	2, 14, 23, 24, 33, 34, 60, 71, 80, 82 तथा 83	10.21
	2 विनियोग	6 तथा 24	
2001-02	14 अनुदान	6, 14, 15,17, 23, 24, 30, 33, 45, 54, 60, 67, 71 तथा 83	115.90
	2 विनियोग	16 तथा 25	
2002-03	8 अनुदान	10, 15, 24, 33, 37, 45, 58 तथा 82	114.59
	2 विनियोग	20 तथा 67	
2003-04	4 अनुदान	12, 33, 40 तथा 67	591.12
	2 विनियोग	ब्याज भुगतान तथा 6	
2004-05	4 अनुदान	15, 24, 67 तथा 81	133.36
	5 विनियोग	ब्याज भुगतान, लोक ऋण ,6, 10 तथा 42	
2005-06	4 अनुदान	4, 15, 24 तथा 39	23.27
	2 विनियोग	6 तथा 23	
2006-07	4 अनुदान	4, 24, 67 तथा 82	5.13
	1 विनियोग	33	
2007-08	3 अनुदान	23, 33 तथा 60	15.99
	3 विनियोग	13, 24 तथा 36	
2008-09	9 अनुदान	24,40,67,80,6, 23, 75, 76 तथा 82	115.26
	1 विनियोग	23	
2009-10	10 अनुदान	3,6,22,23,24,25,49,64,76 तथा 80	216.77
	5 विनियोग	3,12,13,43 तथा 67	
2010-11	22 अनुदान	1,2,6,7,8,9,12,18,23,25,29,30,39,40,45,49,56,57,58,75,82 तथा ब्याज भुगतान	293.78
	6 विनियोग	1,20,23,29,36 तथा लोक ऋण	
2011-12	24 अनुदान	1,2,6,7,15,17,18,21,22,23,27,29,34,40,43,45,47, 50,53,55,66,80,81,83,	498.09
	1 विनियोग	29	
2012-13	2 अनुदान	40, 45	0.96
	2 विनियोग	6, 55	
कुल योग-			**2,134.43**

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भः कंडिका-2.4.11; पृष्ठ-57)

व्यय का अतिवेग

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	मुख्य शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	जनवरी-मार्च 2014 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2014 में किया गया व्यय	निम्नांकित का कुल व्यय से प्रतिशत	
					जनवरी से मार्च 2014	मार्च 2014
1	2	3	4	5	6	7
1	2015	85.71	50.27	32.63	58.65	38.07
2	2029	275.76	172.26	149.12	62.47	54.07
3	2030	130.61	111.29	5.84	85.21	4.47
4	2045	122.65	118.30	117.57	96.45	95.87
5	2048	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00
6	2205	23.69	13.18	6.96	55.64	29.38
7	2217	819.70	568.73	551.13	69.38	67.24
8	2245	397.58	281.68	238.83	70.85	60.07
9	2250	05.31	04.83	00.34	90.77	6.40
10	2415	83.95	48.25	24.50	57.47	29.18
11	2501	48.26	28.42	22.50	58.89	46.62
12	2801	621.10	359.80	259.80	57.93	41.83
13	2810	20.96	20.96	20.96	100.00	100.00
14	2852	45.95	29.07	20.89	63.26	45.46
15	2853	285.42	228.52	117.50	80.06	41.17
16	2885	00.30	00.30	00.30	100.00	100.00
17	3275	46.01	38.22	08.80	83.07	19.13
18	3452	40.02	20.30	20.06	50.72	50.12
19	3454	34.22	22.29	18.32	65.13	53.54
20	4059	140.88	75.21	38.21	53.39	27.12
21	4202	253.34	145.04	98.26	57.25	38.79
22	4210	126.99	66.26	36.82	52.18	28.99
23	4215	03.97	02.77	01.72	69.95	43.43
24	4216	26.94	20.29	13.13	75.32	48.74
25	4217	66.71	46.62	38.19	69.89	57.25
26	4225	81.73	46.84	29.72	57.31	36.36
27	4235	106.27	105.10	104.46	98.90	98.30
28	4402	21.06	13.02	05.81	61.82	27.59
29	4403	05.98	05.80	04.69	96.99	78.43
30	4406	34.44	25.89	12.99	75.17	37.72
31	4515	90.71	48.08	31.86	53.00	35.12
32	4700	339.16	170.50	93.33	50.27	27.52
33	4705	81.75	44.12	18.05	53.97	22.08
34	4711	09.15	05.95	02.79	65.03	30.49
35	4851	08.11	04.22	03.99	52.03	49.20
36	6425	36.00	36.00	36.00	100.00	100.00
कुल योग-		**4,620.39**	**3,028.38**	**2,236.07**		

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भः कंडिका-2.6.7; पृष्ठ-61)

अनुदान 03 एवं 30 में अंतिम तिमाही में व्यय का तीव्र प्रवाह

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	लेखाओं के शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	अंतिम तिमाही तक कुल व्यय	अंतिम तिमाही में कुल व्यय	
				राशि	कुल व्यय का प्रतिशत
1	03-2055-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	35.03	1.66	33.37	95
2	03-2055-7506-नक्सल क्षेत्र में नवीन थाना चौकी निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण	25.00	0	25.00	100
3	03-2055-7307-विशेष अधोसंरचना विकास योजना	29.17	3.99	25.18	86
4	03-2055-अनुरक्षण कार्य	8.88	3.65	5.23	59
5	03-2055-सामग्री एवं पुर्तियां	97.16	48.28	48.88	50
6	03-2055- मशीन और उपकरण	7.35	1.94	5.41	74
7	03-2055-सड़क सुरक्षा निधि	2.92	0.66	2.26	77
8	03-4055-97-निर्माण कार्य	35.07	4.08	30.99	88
9	30-2501-06-196-8775-प्रशासनिक योजना-जिला स्तर	1.94	0.50	1.43	74
10	30-2515-001-3926-विकास आयुक्त	0.30	0.00	0.30	100
11	30-2515-003-5063-छत्तीसगढ़ विकास संस्थान	0.33	0.00	0.33	100
12	30-2235-60-196-7291-आम आदमी बीमा योजना	0.50	0.00	0.50	100
13	30-2501-02-196-7350-एकीकृत वाटर रोड प्रबंधन कार्यक्रम	1.72	0.00	1.72	100
14	30-2501-06-102-7490-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	2.20	0.00	2.20	100
15	30-3054-04-105-4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	122.50	0.00	122.50	100
16	30-4515-101-3064-भवन निर्माण	0.18	0.00	0.18	100
17	30-5054-04-337-4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	22.00	0.00	22.00	100
कुल योग-		**392.25**	**64.76**	**327.48**	

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भः कंडिका-2.6.8; पृष्ठ-62)

अनुदान 30 के विभागीय आंकड़ों का अंकमिलान न किया जाना

(₹ राशि में)

सं. क्र.	लेखाओं के शीर्ष	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के अनुसार व्यय	विभाग के अनुसार व्यय	अंतर अधिक (+)/ कमी (-)
1	2515-0701-101-2467	83,03,262	78,67,530	-4,35,732
2	2515-0701-101-2468	96,90,595	97,15,917	25,322
3	2515-0701-101-2474	60,13,27,912	5,55,12,971	-54,58,14,941
4	2515-0701-101-5575	4,40,927	4,10,001	-30,926
5	2515-102-0101-7019	33,077	33,683	606
6	2515-00-00-3926	62,20,598	80,75,000	18,54,402
7	2515-00-001-3926	30,00,000	31,00,000	1,00,000
8	2515-00-001-1033	17,47,90,688	19,51,25,000	2,03,34,312
9	2515-00-001-1167	18,39,860	22,55,000	4,15,140
10	2515-00-102-1208	10,48,54,876	7,92,05,000	-2,56,49,876
11	2216-03-196-6549	85,68,07,800	83,15,38,300	-2,52,69,500
12	2505-60-101-6728	1,12,80,015	2,26,98,000	1,14,17,985
13	2505-60-196-6728	1,55,07,81,000	1,55,10,00,000	2,19,000
14	2515-00-001-3926	2,21,34,071	1,90,20,000	-31,14,071
15	2515-00-001-3928	निरंक	1,00,000	1,00,000
16	2515-00-001-1033	28,34,26,231	25,78,61,000	-2,55,65,231
17	2515-00-003-5063	2,08,05,844	2,12,45,000	4,39,156
18	2515-00-800-1208	23,38,29,037	29,02,10,000	5,63,80,963
19	2515-00-800-1208	निरंक	1,00,000	1,00,000
20	2515-00-800-4855	33,78,47,846	33,41,60,000	-36,87,846
21	5054-04-337-7475	1,80,92,81,022	1,74,98,97,500	-5,93,83,522
22	5054-04-337-8650	1,66,90,52,017	1,74,00,06,000	7,09,53,983
कुल योग-		**7,70,57,46,678**	**7,17,91,35,902**	**-52,66,10,776**

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भः कंडिका-3.1; पृष्ठ-65)

31 मार्च 2014 की स्थिति मे लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र

(₹ लाख में)

स. क्र.	विभाग		अनुदान भुगतान का वर्ष	कुल अनुदान भुगतान		उपयोगिता प्रमाण पत्र			
						प्राप्त		अप्राप्त	
	मुख्य शीर्ष	नाम		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2011	राज्य मंत्रिमण्डल	2007-08	29	129.84	0	0.00	29	129.84
			2008-09	18	173.16	0	0.00	18	173.16
			2009-10	19	103.93	1	0.11	18	103.82
			2010-11	35	129.16	0	0.00	35	129.16
			2011-12	38	154.78	0	0.00	38	154.78
			2012-13	9	48.88	0	0.00	9	48.88
योग				**148**	**739.75**	**1**	**0.11**	**147**	**739.64**
2	2013	मंत्रि-परिषद	2007-08	322	1,699.97	317	1,695.48	5	4.49
			2008-09	207	1,379.47	207	1,379.47	0	0.00
			2009-10	303	1,168.56	302	1,168.23	1	0.33
			2010-11	348	1,319.13	347	1,318.13	1	1.00
			2011-12	224	754.13	196	603.98	28	150.15
			2012-13	25	93.36	0	0.00	25	93.36
योग				**1429**	**6,414.62**	**1369**	**6,165.29**	**60**	**249.33**
3	2014	न्याय प्रशासन	2007-08	10	224.40	0	0.00	10	224.40
			2008-09	7	247.95	0	0.00	7	247.95
			2009-10	2	200.00	2	200.00	0	0.00
			2010-11	2	200.00	2	200.00	0	0.00
			2011-12	2	200.00	0	0.00	2	200.00
योग				**23**	**1,072.35**	**4**	**400.00**	**19**	**672.35**
4	2052	सचिवालय- सामान्य सेवाएं	2011-12	2	75.00	0	0.00	2	75.00
			2012-13	3	125.00	0	0.00	3	125.00
योग				**5**	**200.00**	**0**	**0.00**	**5**	**200.00**
5	2055	पुलिस	2007-08	5	191.00	5	191.00	0	0.00
			2008-09	2	175.00	2	175.00	0	0.00
			2009-10	4	109.00	4	109.00	0	0.00
			2010-11	1	65.00	1	65.00	0	0.00
			2011-12	2	278.00	0	0.00	2	278.00
योग				**14**	**818.00**	**12**	**540.00**	**2**	**278.00**
6	2202	सामान्य शिक्षा	2007-08	1993	39,720.56	1990	39,718.61	3	1.95
			2008-09	3516	43,153.76	3472	42,945.17	44	208.59
			2009-10	2561	54,960.96	2554	54,801.36	7	159.60
			2010-11	3034	84,452.99	3027	84,342.66	7	110.33
			2011-12	3014	1,10,196.23	3010	1,09,957.32	4	238.91
			2012-13	1033	54,472.27	69	1,179.35	964	53,292.92
योग				**15151**	**3,86,956.77**	**14,122**	**3,32,944.47**	**1029**	**54,012.30**
7	2203	तकनीकी शिक्षा	2007-08	6	169.00	6	169.00	0	0.00
			2008-09	4	250.48	4	250.48	0	0.00
			2009-10	3	120.00	3	120.00	0	0.00
			2010-11	2	120.00	2	120.00	0	0.00
			2011-12	2	120.00	0	0.00	2	120.00
योग				**17**	**779.48**	**15**	**659.48**	**2**	**120.00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	2007-08	135	84.72	110	65.25	25	19.48
			2008-09	128	132.45	105	63.69	23	68.76
			2009-10	146	126.31	124	84.76	22	41.55
			2010-11	139	345.15	106	130.09	33	215.06
			2011-12	116	177.69	102	143.98	14	33.71
			2012-13	19	81.29	5	2.74	14	78.54
योग				**683**	**947.61**	**552**	**490.51**	**131**	**457.10**
9	2205	कला एवं संस्कृति	2007-08	69	53.77	3	0.95	66	52.82
			2008-09	93	86.43	2	1.70	91	84.72
			2009-10	66	64.86	1	0.90	65	63.96
			2010-11	111	65.24	0	0.00	111	65.24
			2011-12	114	96.88	0	0.00	114	96.88
			2012-13	25	36.74	0	0.00	25	36.75
योग				**478**	**403.92**	**6**	**3.55**	**472**	**400.37**
10	2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2007-08	111	1,702.93	84	1,685.82	27	17.11
			2008-09	117	4,427.29	75	4,183.43	42	243.86
			2009-10	134	9,366.43	89	9,187.87	45	178.56
			2010-11	116	7,029.62	68	4814.26	48	2,215.36
			2011-12	136	15,369.22	72	10,169.93	64	5,199.30
			2012-13	53	8,224.80	1	7,383.53	52	841.26
योग				**667**	**46,120.29**	**389**	**37,424.84**	**278**	**8,695.45**
11	2215	जलापूर्ति तथा सफाई	2007-08	109	5,681.41	2	420.00	107	5261.41
			2008-09	109	7,335.45	109	7,335.45	0	0.00
			2009-10	131	6,081.54	2	340.00	129	5,741.54
			2010-11	60	4,910.20	7	9.11	53	4,901.09
			2011-12	60	5,843.70	2	125.00	58	5,718.70
			2012-13	31	2,994.80	0	0.00	31	2994.80
योग				**500**	**32,847.10**	**122**	**8,229.56**	**378**	**24,617.54**
12	2216	आवास	2007-08	45	478.79	9	163.15	36	315.64
			2008-09	47	1,938.56	11	1,440.09	36	498.47
			2009-10	50	2,357.53	20	1,235.58	30	1,121.95
			2010-11	39	844.97	11	374.19	28	470.78
			2011-12	73	2,448.04	10	533.35	63	1,914.69
			2012-13	31	637.36	0	0.00	31	637.36
योग				**285**	**8,705.25**	**61**	**3,746.36**	**224**	**4,958.89**
13	2217	शहरी विकास	2007-08	66	19,142.50	63	17,784.04	3	1,358.46
			2008-09	107	22,562.21	106	21,682.21	1	880.00
			2009-10	63	35,465.65	61	32,825.65	2	2,640.00
			2010-11	139	30,136.95	0	0.00	139	30,136.95
			2011-12	116	40,336.77	0	0.00	116	40,336.77
			2012-13	52	10,277.81	0	0.00	52	10,277.81
योग				**543**	**1,57,921.89**	**230**	**72,291.9**	**313**	**85,629.99**
14	2220	सूचना तथा प्रचार	2007-08	5	6.47	0	0.00	5	6.47
			2008-09	12	10.05	0	0.00	12	10.05
			2009-10	7	12.80	0	0.00	7	12.80
			2010-11	14	25.88	1	13.00	13	12.88
			2011-12	12	14.22	0	0.00	12	14.22
			2012-13	3	3.85	0	0.00	3	3.85
योग				**53**	**73.27**	**1**	**13.00**	**52**	**60.27**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	2225	अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजतियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	2007-08	269	3,829.56	135	394.49	134	3,435.07
			2008-09	228	4,466.95	99	402.48	129	4,064.47
			2009-10	241	3,492.08	121	730.70	120	2,761.38
			2010-11	212	3,255.30	38	277.24	174	2,978.06
			2011-12	359	5,087.83	57	535.31	302	4,552.52
			2012-13	34	1,227.58	0	0.00	34	1,227.58
योग				**1,343**	**21,359.30**	**450**	**2,340.22**	**893**	**19,019.08**
16	2230	श्रम एवं रोजगार	2010-11	1	45.00	0	0.00	1	45.00
			2011-12	10	315.01	8	255.10	2	59.91
योग				**11**	**360.01**	**8**	**255.10**	**03**	**104.91**
17	2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2007-08	455	3,357.49	62	588.97	393	2,768.52
			2008-09	480	16,443.60	8	249.63	472	16,193.97
			2009-10	521	4,808.51	13	62.33	508	4,746.18
			2010-11	868	6,843.96	2	9.84	866	6,834.12
			2011-12	1216	6,515.63	0	0.00	1216	6,515.63
			2012-13	532	3,274.25	0	0.00	532	3,274.25
योग				**4,072**	**41,243.44**	**85**	**910.77**	**3,987**	**40,332.67**
18	2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	2007-08	22	9.21	19	8.07	3	1.14
			2009-10	13	9.92	13	9.92	0	0.00
			2010-11	6	8.05	6	8.05	0	0.00
			2012-13	01	1.00	0	0.00	01	1.00
योग				**42**	**28.18**	**38**	**26.04**	**04**	**2.14**
19	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	2007-08	1	5.25	0	0.00	1	5.25
			2009-10	4	264.75	0	0.00	4	264.75
			2010-11	5	276.00	0	0.00	5	276.00
			2011-12	6	370.75	0	0.00	6	370.75
योग				**16**	**916.75**	**0**	**0.00**	**16**	**916.75**
20	2401	फसल कृषि-कर्म	2007-08	94	2,374.60	15	0.87	79	2373.73
			2008-09	178	6,381.09	26	1,069.98	152	5,311.11
			2009-10	236	4,644.08	55	992.60	181	3,651.48
			2010-11	383	15,318.99	10	7.04	373	15,311.95
			2011-12	582	12,143.59	53	220.59	529	11,923.00
			2012-13	159	7,916.36	6	116.70	153	7,799.66
योग				**1632**	**48,778.71**	**165**	**2,407.78**	**1467**	**46,370.93**
21	2403	पशु-पालन	2007-08	155	1,862.60	60	764.42	95	1,098.19
			2008-09	165	1,679.14	98	829.65	67	849.49
			2009-10	146	3,781.64	47	91.86	99	3,689.78
			2010-11	182	5,090.72	25	47.02	157	5,043.70
			2011-12	203	3,019.24	32	832.83	171	2,186.41
			2012-13	48	1,794.39	1	5.20	47	1,789.19
योग				**899**	**17,227.73**	**263**	**2,570.98**	**636**	**14,656.76**
22	2405	मछली पालन	2007-08	172	179.74	1	0.03	171	179.71
			2008-09	167	310.94	27	37.18	140	273.76
			2009-10	126	241.27	4	0.47	122	240.80
			2010-11	164	484.18	50	59.49	114	424.69
			2011-12	144	472.07	17	15.44	127	456.63
			2012-13	31	108.54	0	0.00	31	108.54
योग				**804**	**1,796.74**	**99**	**112.61**	**705**	**1,684.13**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	2406	वानिकी एवं वन्य जीव	2010-11	1	87.00	0	0.00	1	87.00
योग				**1**	**87.00**	**0**	**0.00**	**1**	**87.00**
24	2408	खाद्य, भंडारण तथा भंडागार	2007-08	8	2,021.01	8	2,021.01	0	0.00
			2008-09	18	2,035.59	17	2,032.59	1	3.00
			2009-10	22	59,941.16	22	59,941.16	0	0.00
			2010-11	31	28,265.92	31	28,265.92	0	0.00
			2011-12	23	2,710.10	0	0.00	23	2,710.10
			2012-13	2	32,644.55	0	0.00	2	32,644.55
योग				**104**	**1,27,618.33**	**78**	**92,260.68**	**26**	**35,357.65**
25	2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	2007-08	8	1,861.25	7	1,823.75	1	37.50
			2008-09	8	2,427.55	8	2,427.55	0	0.00
			2009-10	7	2,775.00	7	2,775.00	0	0.00
			2010-11	13	5,182.50	0	0.00	13	5,182.50
			2011-12	11	6,185.00	11	6,185	0	0.00
			2012-13	3	1,937.50	0	0	3	1,937.50
योग				**50**	**20,368.8**	**33**	**13,211.3**	**17**	**7,157.5**
26	2425	सहकारिता	2007-08	6	55.20	6	55.2	0	0.00
			2008-09	5	34.96	4	32.46	1	2.50
			2010-11	13	303.45	2	14.50	11	288.95
			2011-12	11	941.04	0	0.00	11	941.04
			2012-13	3	1,522.50	0	0.00	3	1,522.50
योग				**38**	**2,857.15**	**12**	**102.16**	**26**	**2,754.99**
27	2435	अन्य कृषि कार्यक्रम	2007-08	4	1,137.80	0	0.00	4	1,137.80
योग				**4**	**1,137.80**	**0**	**0**.00	**4**	**1,137.80**
28	2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2007-08	122	1,228.50	68	742.71	54	485.79
			2008-09	164	1,663.94	85	1,172.49	79	491.45
			2009-10	164	1,246.23	87	933.24	77	312.99
			2010-11	112	1,537.95	52	440.65	60	1,097.30
			2011-12	120	3,181.51	31	425.53	89	2,755.98
			2012-13	36	216.32	0	0.00	36	216.32
योग				**718**	**9,074.45**	**323**	**3,714.62**	**395**	**5,359.83**
29	2505	ग्रामीण रोजगार	2007-08	64	4,046.30	44	2,496.45	20	1,549.85
			2008-09	78	4,716.99	54	3,261.34	24	1,455.65
			2009-10	36	2,272.68	30	1,951.34	6	321.34
			2010-11	45	5,343.10	15	1,910.20	30	3,432.90
			2011-12	43	4,740.43	9	453.78	34	4,286.65
			2012-13	65	5,119.08	0	0.00	65	5,119.08
योग				**331**	**26,238.58**	**152**	**10,073.11**	**179**	**16,165.47**
30	2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2007-08	195	20,361.85	60	9,731.27	135	10,630.58
			2008-09	179	19,119.64	35	8,167.62	144	10,952.02
			2009-10	195	18,935.47	33	7,627.37	162	11,308.10
			2010-11	243	17,519.40	24	4,992.86	219	12,526.54
			2011-12	424	30,683.75	51	6,656.57	373	24,027.18
			2012-13	247	13,865.66	05	420.45	242	13,445.21
योग				**1483**	**1,20,485.77**	**208**	**37,596.14**	**1275**	**82,889.63**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	2702	लघु सिंचाई	2007-08	220	510.28	163	320.99	57	189.29
			2008-09	320	782.37	256	492.85	64	289.52
			2009-10	268	831.65	194	520.28	74	311.37
			2010-11	245	847.55	161	611.58	84	235.97
			2011-12	275	1,060.48	20	94.26	255	966.22
			2012-13	114	707.75	0	0.00	114	707.75
योग				**1442**	**4,740.08**	**794**	**2,039.96**	**648**	**2,700.12**
32	2801	बिजली	2007-08	20	4,601.95	9	1,972.48	11	2,629.47
			2008-09	34	5,197.52	0	0.00	34	5,197.52
			2009-10	22	4,760.25	0	0.00	22	4,760.25
			2010-11	10	8,009.00	2	80.00	8	7,929.00
			2011-12	5	10,000.00	0	0.00	5	10,000.00
			2012-13	3	6,372.50	0	0.00	3	6,372.50
योग				**94**	**38,941.22**	**11**	**2,052.48**	**83**	**36,888.74**
33	2810	नवीन एवं अक्षय उर्जा स्त्रोत	2007-08	13	3,910.00	11	3,160.00	2	750.00
			2008-09	14	2,918.00	13	2,418.00	1	500.00
			2009-10	13	2,475.00	9	1,848.50	4	626.50
			2010-11	15	3,578.00	0	0.00	15	3,578.00
			2011-12	15	3,565.00	0	0.00	15	3,565.00
योग				**70**	**16,446.00**	**33**	**7,426.50**	**37**	**9,019.5**
34	2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	2007-08	112	1,335.17	32	696.79	80	638.38
			2008-09	95	1,387.52	33	710.30	62	677.22
			2009-10	97	1,841.70	20	1,005.61	77	836.09
			2010-11	59	1,720.60	2	5.80	57	1,714.80
			2011-12	54	2,697.23	0	0.00	54	2,697.23
योग				**417**	**8,982.22**	**87**	**2,418.50**	**330**	**6,563.72**
35	2852	उद्योग	2007-08	2	41.00	0	0.00	2	41.00
			2008-09	5	136.39	4	32.39	1	104.00
			2009-10	11	359.88	0	0.00	11	359.88
			2010-11	6	399.51	1	25.00	5	374.51
			2011-12	9	906.71	3	65.17	6	841.54
			2012-13	5	248.31	0	0.00	5	248.31
योग				**38**	**2,091.80**	**8**	**122.56**	**30**	**1,969.24**
36	2853	अलौह खनन तथा धातुकार्य उद्योग	2007-08	7	732.57	4	264.54	3	468.03
			2008-09	1	118.89	1	118.89	0	0.00
		योग		**8**	**851.46**	**5**	**383.43**	**3**	**468.03**
37	2885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	2007-08	1	25.00	0	0.00	1	25.00
			2008-09	1	25.00	0	0.00	1	25.00
			2010-11	1	30.00	0	0.00	1	30.00
			2011-12	1	30.00	0	0.00	1	30.00
योग				**4**	**110.00**	**0**	**0**.00	**4**	**110.00**
38	3054	सड़क तथा सेतु	2007-08	2	500.00	0	0.00	2	500.00
			2008-09	2	2,497.00	0	0.00	2	2,497.00
			2009-10	1	2,500.00	0	0.00	1	2,500.00
			2010-11	2	6,300.00	0	0.00	2	6,300.00
			2011-12	3	1,00,00.00	0	0.00	3	10000.00
योग				**10**	**21,797.00**	**0**	**0.00**	**10**	**21,797.00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	3275	अन्य संचार सेवाएं	2007-08	5	1,326.00	0	0.00	5	1,326.00
			2008-09	8	1,394.00	0	0.00	8	1,394.00
			2009-10	4	614.00	0	0.00	4	614.00
			2010-11	4	509.92	0	0.00	4	509.92
			2011-12	12	2,611.49	0	0.00	12	2,611.49
			2012-13	2	191.00	0	0.00	02	191.00
		योग		**35**	**6,646.41**	**0**	**0.00**	**35**	**6,646.41**
40	3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	2007-08	15	691.82	0	0.00	15	691.82
			2008-09	14	709.46	0	0.00	14	709.46
			2009-10	12	573.58	0	0.00	12	573.58
			2010-11	7	156.15	0	0.00	7	156.15
			2011-12	11	454.50	0	0.00	11	454.50
			2012-13	05	305.00	0	0.00	05	305.00
		योग		**64**	**2,890.51**	**0**	**0.00**	**64**	**2,890.51**
41	3452	पर्यटन	2007-08	12	2,000.00	11	1,950.00	1	50.00
			2008-09	10	3,100.00	9	2,525.00	1	575.00
			2009-10	9	3,200.00	9	3,200.00	0	0.00
			2010-11	11	3,235.00	0	0.00	11	3,235.00
			2011-12	8	3,235.00	0	0.00	8	3,235.00
		योग		**50**	**14,770.00**	**29**	**7,675.00**	**21**	**7,095.00**
42	3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	2010-11	1	910.00	1	910.00	0	0.00
		योग		**1**	**910.00**	**1**	**910**	**0**	**0**
43	3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति	2007-08	127	52,301.23	0	0.00	127	52,301.23
			2008-09	69	50,446.19	1	53.48	68	50,392.71
			2009-10	137	45,092.14	2	268.11	135	44,824.03
			2010-11	177	69,265.13	16	154.11	161	69,111.02
			2011-12	205	69,221.95	1	238.34	204	68,983.61
			2012-13	92	43,166.27	0	0.00	92	43,166.27
		योग		**807**	**3,29,492.91**	**20**	**714.04**	**787**	**3,28,778.87**
44	4202	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2007-08	3	2,016.42	3	2,016.42	0	0.00
			2008-09	3	3,700.00	3	3,700.00	0	0.00
			2009-10	1	500.00	1	500.00	0	0.00
		योग		**7**	**6,216.42**	**7**	**6,216.42**	**0**	**0.00**
45	4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	2007-08	1	1,200.00	1	1,200.00	0	0.00
		योग		**1**	**1,200.00**	**1**	**1,200.00**	**0**	**0.00**
46	4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	2007-08	102	751.56	101	745.03	1	6.53
			2008-09	63	610.52	61	565.02	2	45.50
			2009-10	70	1,394.73	70	1,394.73	0	0.00
			2010-11	73	1,482.56	0	0.00	73	1,482.56
		योग		**308**	**4,239.37**	**232**	**2,704.78**	**76**	**1,534.59**
47	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	2007-08	34	3,585.65	34	3,585.65	0	0.00
			2008-09	11	832.00	11	832	0	0.00
			2009-10	32	2,541.60	31	2,453.60	1	88.00
			2010-11	23	3,428.60	0	0.00	23	3,428.60
		योग		**100**	**10,387.85**	**76**	**6,871.25**	**24**	**3,516.60**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2007-08	1	0.03	1	0.03	0	0.00
			2008-09	1	0.03	1	0.03	0	0.00
			2009-10	3	0.10	3	0.1	0	0.00
योग				**5**	**0.16**	**5**	**0.16**	**0**	**0.00**
49	4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	2007-08	1	37.48	1	37.48	0	0.00
			2008-09	1	1,017.41	1	1,017.41	0	0.00
			2009-10	1	600.91	1	600.91	0	0.00
			2010-11	4	1,371.23	0	0	4	1,371.23
योग				**7**	**3,027.03**	**3**	**1,655.80**	**4**	**1,371.23**
50	5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2008-09	2	2,212.10	2	2,212.10	0	0.00
योग				**2**	**2,212.10**	**2**	**2,212.10**	**0**	**0.00**
महायोग				**35014**	**15,59,531.61**	**20112**	**6,73,093.56**	**14902**	**8,86,438.05**

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भः कंडिका-3.2.1; पृष्ठ-66)

सीएजी (डीपीसी) अधिनियम की धारा 14 के तहत पहचान की गयी लेखा परीक्षा योग्य इकाइयों की सूची

स. क्रं	प्राप्तकर्ता	तक अंकेक्षित
1	मिशन निदेशक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन	निरंक
2	निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	2009-10
3	कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण	निरंक
4	वित्तीय नियंत्रक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	निरंक
5	जिला आयोजक, आदिम जाति कल्याण	निरंक
6	प्राचार्य, चितानी मितानी दूबे महाविद्यालय, बिलासपुर एवं अन्य महाविद्यालय	निरंक
7	कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	निरंक
8	प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल	2011-12
9	रजिस्ट्रार, रवि शंकर विश्वविद्यालय	निरंक
10	प्रबन्ध संचालक, सहकारी शक्कर कारखाना	निरंक
11	नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	निरंक
12	निदेशक, गैर नवीकरण उर्जा विकास प्राधिकरण	निरंक
13	मिशन निदेशक, यूरोपियन आयोग राज्य सांझेदारी कार्यक्रम	निरंक
14	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ	निरंक
15	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ इन्फोटेक एवं बायोटेक प्रमोशन सोसायटी	2012-13
16	नोडल अधिकारी, संजीवनी कोष	निरंक
17	मिशन निदेशक, राज्य बागबानी विकास समिति	निरंक
18	छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी कल्याण आवासीय और आश्रम शिक्षा संस्थान	निरंक
19	रजिस्ट्रार, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय	निरंक
20	परियोजना अधीक्षक,एकीकृत आदिवासी कल्याण विकास परियोजना	निरंक
21	कार्यपालन निदेशक, छत्तीसगढ विज्ञान और प्रौद्यौगिकी परिषद	निरंक
22	प्राचार्य, सैनिक विद्यालय	निरंक
23	रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	निरंक
24	प्राचार्य, पशु चिकित्सा महाविद्यालय	निरंक
25	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण	निरंक
26	सचिव, बैगा विकास प्राधिकरण, कबीरधाम	निरंक
27	रजिस्ट्रार,, आयुष और चिकित्सा विश्वविद्यालय	निरंक
28	प्रबन्ध निदेशक, खादी ग्रामोद्योग	निरंक
29	महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र	निरंक
30	रजिस्ट्रार, सरगुजा विश्वविद्यालय	निरंक
31	रजिस्ट्रार, कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय	निरंक
32	प्रबन्ध निदेशक, दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी मिल एवं अन्य	निरंक
33	प्रबन्ध निदेशक, रायपुर दूग्ध उत्पादन महासंघ	निरंक
34	रजिस्ट्रार, बस्तर विश्वविद्यालय	निरंक
35	हस्तशिल्प विकास और विपणन सहकारी संघ	निरंक
36	प्रबन्ध निदेशक, हस्तशिल्प विकास मंडल	निरंक
37	परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना	निरंक
38	प्रबन्ध निदेशक, छत्तीसगढ़ महिला कोष	निरंक
39	रजिस्ट्रार, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय	निरंक
40	बुनकर सहकारी समिति	निरंक
41	कार्यपालन निदेशक, जनजातिय विकास कार्यक्रम	निरंक

परिशिष्ट - 3.3

(संदर्भः कंडिका-3.3; पृष्ठ-67)

(वर्ष 2013-14 के अंत तक बकाया ए.सी देयकों का विभागवार विवरण)

(₹ लाख में)

स. क्रं	मुख्य शीर्ष	देयकों की संख्या	राशि
1	2014 न्याय एवं प्रशासन	2	0.44
2	2425 सहकारिता	3	5,297.00
3	2401 फसल कृषि-कर्म	12	17.73
4	2015 मतदान	4	0.38
5	2405 मछली पालन	14	14.26
6	2406 वानिकी एवं वन्य जीव	11	602.17
7	2202 सामान्य शिक्षा	3	0.12
8	2852 उद्योग	3	193.24
9	2056 जेल	1	0.39
10	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	5	4.97
11	2203 तकनीकी शिक्षा	4	0.09
12	2851 ग्राम तथा लघु उद्योग	21	181.75
13	2225 अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजतियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	4	0.15
	योग	**87**	**6,312.69**

परिशिष्ट - 3.4

(संदर्भः कंडिका-3.4; पृष्ठ-68)

चोरी, गबन एवं शासकीय सम्पत्ति/सामग्री की कमियों के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(₹ लाख में)

स.क्रं	विभाग/ईकाई का नाम	चोरी के प्रकरण		गबन प्रकरण		सरकारी भंडार/ सामग्री की हानि		योग	
		प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	उच्च शिक्षा	8	8.92	-	-	5	5.35	13	14.27
2	कला एवं संस्कृति	1	0.81	-	-	-	-	1	0.81
3	जिला प्रशासन	1	0.67	3	0.85	4	3.00	8	4.52
4	कोष एवं लेखा प्रशासन	3	0.20	4	7.78	4	11.81	11	19.79
5	तकनिकी शिक्षा	4	0.00	1	1.91	9	51.12	14	53.03
6	आदिम जाति	3	0.91	1	0.47	15	16.39	19	17.77
7	विक्रय एवं व्यापार कर	1	0.02	-	-	-	-	1	0.02
8	महिला एवं बाल विकास	1	3.50	1	0.00	2	2.28	4	5.78
9	शिक्षा	31	12.76	12	14.92	29	107.60	72	135.28
10	पुलिस	24	9.11	-	-	340	120.82	364	129.93
11	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5	0.31	8	1.27	19	2.00	32	3.58
12	तहसील	3	0.52	12	6.33	-	-	15	6.85
13	राज्य आबकारी	-	-	1	2.37	3	3.07	4	5.44
14	पशुपालन	4	0.59	-	-	123	11.69	127	12.28
15	लोक सेवा आयोग	-	-	-	-	1	3.16	1	3.16
16	सहकारिता	-	-	-	-	1	96.26	1	96.26
17	पंचायत एवं समाज कल्याण	-	-	-	-	3	0.29	3	0.29
18	डेयरी विकास	1	0.20	-	-	1	0.02	2	0.22
19	रेशम	3	0.15	-	-	5	0.54	8	0.69
20	जिला एवं सत्र न्यायालय	5	0.86	4	10.25	2	1.66	11	12.77
21	खनिज संसाधन विभाग	-	-	-	-	5	3.70	5	3.70
22	श्रम एवं रोजगार	9	3.01	-	-	3	0.63	12	3.64
23	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	-	-	-	-	4	0.23	4	0.23
24	फसल कृषि कर्म	1	0.24	-	-	7	8.49	8	8.73
25	आदिम जाति/ आदिम जन जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग का कल्याण	1	0.00	3	0.52	10	2.70	14	3.22
26	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं	8	3.46	12	35.48	8	10.30	28	49.24
27	वन	3	0.08	-	-	842	822.83	845	822.91
28	लोक निर्माण विभाग	2	0.38	-	-	23	262.85	25	263.23
29	जल संसाधन विभाग	9	4.37	-	-	12	210.43	21	214.80
30	भूमि संरक्षण	-	-	-	-	1	0.00	1	0.00
31	वित्त और सांख्यिकी निदेशालय	1	0.05	-	-	-	-	1	0.05
32	कलेक्ट्रेट	-	-	2	0.38	1	0.08	3	0.46
33	परिवहन विभाग	-	-	-	-	1	0.00	1	0.00
	योग	**132**	**51.12**	**64**	**82.53**	**1483**	**1,759.30**	**1679**	**1,892.95**

परिशिष्ट -3.5

(संदर्भः कंडिका-3.4; पृष्ठ-68)

शासन को हुई हानियों का विश्लेषण

(31 मार्च 2014 की स्थिति में अंतिम कार्यवाही हेतु लंबित विश्लेषण)

(₹ लाख में)

स. क्रं	विभाग/ईकाई का नाम	प्रकरण संख्या एवं राशि						
		पांच वर्ष तक	05 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 वर्ष से उपर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उच्च शिक्षा	1 (6.04)	7 (7.37)	2 (0.25)	2 (0.11)	-	1 (0.50)	13 (14.27)
2	कला एवं संस्कृति	-	-	-	-	-	1 (0.81)	1 (0.81)
3	जिला प्रशासन	-	1 (0.20)	1 (0.20)	1 (0.67)	2 (0.18)	3 (3.27)	8 (4.52)
4	कोष एवं लेखा प्रशासन	1 (0.00)	3 (7.34)	-	1 (11.77)	-	6 (0.68)	11 (19.79)
5	तकनिकी शिक्षा	3 (46.79)	9 (5.95)	-	-		2 (0.29)	14 (53.03)
6	आदिम जाति	1 (0.50)	1 (0.25)	4 (1.46)	4 (12.67)	4 (2.13)	5 (0.76)	19 (17.77)
7	विक्रय एवं व्यापार कर	-	-	-	-	-	1 (0.02)	1 (0.02)
8	जेल	-	-	-	-	-	-	-
9	महिला एवं बाल विकास	-		1 (1.96)	1 (0.00)	1 (3.50)	1 (0.32)	4 (5.78)
10	शिक्षा	4 (44.34)	8 (46.90)	6 (22.93)	1 (0.51)	19 (12.34)	34 (8.26)	72 (135.28)
11	पुलिस	150 (40.77)	137 (40.01)	44 (25.79)	14 (18.97)	19 (4.39)	-	364 (129.93)
12	जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-	-	-	-	5 (0.88)	27 (2.70)	32 (3.58)
13	तहसील	-	3 (0.98)	-	-		12 (5.87)	15 (6.85)
14	राज्य आबकारी		1 (1.49)	2 (3.94)	-	-	1 (0.01)	4 (5.44)
15	पशुपालन	50 (5.38)	69 (3.58)	2 (1.84)	-	1 (0.73)	5 (0.75)	127 (12.28)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	लोक सेवा आयोग	-	1 (3.16)	-	-	-	-	1 (3.16)
17	सहकारिता	-	-		1 (96.26)	-	-	1 (96.26)
18	पंचायत एवं समाज कल्याण	-	1 (0.00)	1 (0.23)	-	-	1 (0.06)	3 (0.29)
19	डेयरी विकास	-	-	1 (0.20)	1 (0.02)	-	-	2 (0.22)
20	रेशम	1 (0.00)	6 (0.65)	-	-	-	1 (0.04)	8 (0.69)
21	जिला एवं सत्र न्यायालय	3 (0.75)	3 (1.19)	3 (10.08)	1 (0.21)	1 (0.54)	-	11 (12.77)
22	खनिज संसाधन विभाग	5 (3.70)	-	-	-	-	-	5 (3.70)
23	श्रम एवं रोजगार	2 (0.50)	3 (2.20)	2 (0.52)	1 (0.05)	1 (0.02)	3 (0.35)	12 (3.64)
24	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	-	-	1 (0.10)	-	-	3 (0.13)	4 (0.23)
25	आदिम जाति/ आदिम जन जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग का कल्याण	1 (0.00)	-	-	-	4 (0.63)	9 (2.59)	14 (3.22)
26	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं	1 (9.85)	5 (1.74)	1 (30.75)	6 (2.41)	5 (2.40)	10 (2.09)	28 (49.24)
27	फसल कृषि कर्म	2 (0.16)	5 (5.59)	1 (2.98)	-	-	-	8 (8.73)
28	वन	15 (59.28)	49 (105.89)	131 (235.91)	186 (144.61)	167 (112.25)	297 (164.97)	845 (822.91)
29	लोक निर्माण विभाग	15 (183.92)	10 (79.31)	-	-	-	-	25 (263.23)
30	जल संसाधन विभाग	8 (38.26)	13 (176.54)	-	-	-	-	21 (214.80)
31	भूमि संरक्षण	-	1 (0.00)	-	-	-	-	1 (0.00)
32	वित्त और सांख्यिकी निदेशालय	1 (0.05)	-	-	-	-	-	1 (0.05)
33	कलेक्ट्रेट	-	-	-	-	-	3 (0.46)	3 (0.46)
34	परिवहन विभाग	-	-	-	-	1 (0.00)	-	1 (0.00)
	योग	**264 (440.29)**	**336 (490.34)**	**203 (339.14)**	**220 (288.26)**	**230 (139.99)**	**426 (194.93)**	**1,679 (1,892.95)**